

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-टीकमगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5549/08 दिनांक 01.08.08 आर. 877	श्री मुलू तनय श्री लच्छू अहिरवार भैंसला तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (हृदय एवं मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5551/08 दिनांक 01.08.08 आर. 877	श्री भागीरथ तनय श्री रामदास अहिरवार घूरा खास तह. पलेरा जिला टीकमगढ़ (पत्नी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 13 / 08 / 2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-दमोह
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5552/08 दिनांक 01.08.08 आर. 878	श्री पूरन बसोर रेल्वे फाटक के पास पथरिया जिला दमोह (हाईड्रोशिल के आपरेशन हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- दमोह (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नीमच
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5555/08 दिनांक 01.08.08 आर. 879	श्रीमती शांति बाई पति श्री कंवरलाल कीर ग्राम उगरान तह. व जिला नीमच (माताजी श्रीमती पदमा बाई के पेट के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5556/08 दिनांक 01.08.08 आर. 879	श्री यशवंत बटवाल पडदा तह.मनासा जिला नीमच (लीवर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) संशोधित आदेश (पूर्व आदेश क्रं-277 दि.10.6. 2008.)
3	एचसीएम. 5558/08 दिनांक 01.08.08 आर. 879	श्री माधव सिंह राजपूत पिता श्री स्वरूपसिंह राजपूत ग्राम धनेरिया खुर्द जिला नीमच (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 40,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 40,000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 352/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- मंदसौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5560/08 दिनांक 01.08.08 आर. 880	श्री गोपाल पिता श्री सत्यनारायण ब्राह्मण रीछाबच्चा तह. व जिला मंदसौर (पेट की गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5562/08 दिनांक 01.08.08 आर. 880	श्री गोपाल सूर्यवंशी गुराडिया प्रताप तह. सुवासरा जिला मन्दसौर (पुत्री के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंदसौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- हरदा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5563/08 दिनांक 01.08.08 आर. 881	श्री राजाराम आ. श्री रमेश छीपानेर तह. टिमरनी जिला हरदा (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- हरदा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-शिवपुरी
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,28,000/- (रूपये एक लाख अठाईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5565/08 दिनांक 01.08.08 आर. 882 मा. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक 1804 का क्रियान्वयन	ग्राम विजयपुर परगना पिछोर जिला शिवपुरी (अनुदान प्राप्त शाला के भवन निर्माण हेतु)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख) नियमों को शिथिल कर
2	एचसीएम. 5568/08 दिनांक 01.08.08 आर. 882 मा. नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी	श्री रमेशचन्द्र जाटव पुत्र श्री कंचनलाल जाटव ग्राम आनन्दपुर नयागांव पो. जौराई तह.पोहरी जिला शिवपुरी (घुटने के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 5570/08 दिनांक 01.08.08 आर. 882	श्री वीरेन्द्र रघुवंशी पिता श्री नारायणसिंह रघुवंशी जिला शिवपुरी (पिता के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
		योग:-	रूपये 1,28,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,28,000/- (रूपये एक लाख अठाईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शिवपुरी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-खरगोन,
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5573/08 दिनांक 01.08.08 आर. 883	श्री कैलाश पिता श्री मांगीलाल सुतार बमनाला तह.भीकनगांव जिला खरगौन (पुत्र के स्टोव से जलने के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5575/08 दिनांक 01.08.08 आर. 883	श्री सुरेशचन्द्र पिता श्री मोहनलाल महाजन बागोद तह. बड़वाहा जिला खरगौन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5578/08 दिनांक 01.08.08 आर. 883	श्री भगवान पिता श्री कड़वाजी कर्मा बागोदा तह. गुड़वाहा जिला खरगौन (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5580/08 दिनांक 01.08.08 आर. 883	श्री रमेश पिता श्री चिंतामण साईंखेड़ी तह. भीकनगांव जिला खरगौन (हाथ के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5583/08 दिनांक 01.08.08 आर. 883	श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी स्व. श्री रन्छोड़ बंजारा बल्फा तह. भीकनगांव जिला खरगौन (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 5584/08 दिनांक 01.08.08 आर. 883	श्री अब्दुल हफीज पिता श्री मुख्त्यार एहमद जिला खरगौन (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खरगोन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-छतरपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5588/08 दिनांक 01.08.08 आर. 884	श्री हफीज खां आ.श्री पीर खां जैन मंदिर के पास वार्ड नं-2 ग्राम आलीपुरा तह.नौगांव जिला छतरपुर (पुत्र शाहिद की आंख के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छतरपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-राजगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 42,000/- (रूपये बयालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5591/08 दिनांक 01.08.08 आर. 885 मा. विधायक श्री दिग्विजय सिंह	श्री माखन सिंह आ. श्री गणपत लाल नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (किडनी रोग के उपचार हेतु) (संशोधित आदेश पूर्व आदेश क्रमांक 405 दिनांक 30/11/2007)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5594/08 दिनांक 01.08.08 आर. 885	श्रीमती केसर बाई पति श्री रामकिशन ग्राम दलेलपुरा पोस्ट पाटनकला पटवारी हल्का नं. 234, जिला राजगढ़ (दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5595/08 दिनांक 01.08.08 आर. 885	श्री लाखन सिंह पिता श्री रूगनाथ ग्राम बादलखेड़ी थाना करनवास तह.व जिला राजगढ़ (पुत्र के बिजली के करेट से घायल होने के सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 5599/08 दिनांक 01.08.08 आर. 885 मा. विधायक श्री मोहन शर्मा	श्री रामनारायण आ. श्री मिश्री लाल विश्वकर्मा ग्राम सेमलागोगा तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (पत्नी की विकलांगिता के कारण सहायता)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
5	एचसीएम. 5602/08 दिनांक 01.08.08 आर. 885	श्री महेश पिता श्री एलम सिंह परमार ग्राम पडाना ब्यावरा जिला राजगढ़ (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 42,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 42,000/- (रूपये बयालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-पन्ना
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5608/08 दिनांक 01.08.08 आर. 886 मा. विधायक श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह	श्री गुलाब सिंह यावद पिता श्री हल्काई यादव हरदुआ पटेल तहसील शाहनगर जिला पन्ना (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5609/08 दिनांक 01.08.08 आर. 886 मा. विधायक श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह	श्री प्रहलाद बेहरे पिता श्री रामकृपाल बेहरे पवई जिला पन्ना (गोली लग जाने के कारण उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5614/08 दिनांक 01.08.08 आर. 886 मा. विधायक श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह	श्री रामचरण लोधी चन्द्रावल तह. शाहनगर जिला पन्ना (सिर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- पन्ना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रीवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 32,000/- (रूपये बत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5617/08 दिनांक 01.08.08 आर. 887 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्रीमती कलाबाई तिवारी पति श्री महेश तिवारी ग्राम दशपुरवा पो. मदरी थाना गढ़ तह. सिरमौर जिला रीवा (पति के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5619/08 दिनांक 01.08.08 आर. 887	श्रीमती गायत्री तिवारी पत्नी श्री अशोक कुमार तिवारी ग्राम लोही जिला रीवा (पति के दुर्घटना में घायल होने से उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 5622/08 दिनांक 01.08.08 आर. 887	श्री अभिनाथ प्रसाद पुत्र श्री महेश प्रसाद ग्राम चिल्ला पो. त्योथर जिला रीवा (कुष्ठ रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 5624/08 दिनांक 01.08.08 आर. 887	श्री कामता प्रसाद पिता श्री विश्राम ग्राम चिल्ला पो.त्योथर जिला रीवा (पत्नी के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
5	एचसीएम. 5626/08 दिनांक 01.08.08 आर. 887	श्रीमती रीतादेवी गुप्ता पति स्व.श्री राधेश्याम गुप्ता ग्राम व पो. डभौरा तह. त्योथर जिला रीवा (पैरों के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 32,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 32,000/- (रुपये बत्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सीधी
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 43,000/- (रूपये त्रितालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5630/08 दिनांक 01.08.08 आर. 888	श्री भैयालाल साहू तनय श्री बलिकरण साहू ग्राम मझिगंवा पो. महखोर तह. मझौली जिला सीधी (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 5632/08 दिनांक 01.08.08 आर. 888	श्री ललई साकेत तनय श्री भुअर साकेत ग्राम नारायणपुर तह. सिंहावल जिला सीधी (कैंसर लिप की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5633/08 दिनांक 01.08.08 आर. 888	श्री मोतीलाल साकेत तनय श्री रामलेखन साकेत ग्राम शिवपुरवा तह. गोपदबनास जिला सीधी (बवासीर एवं पथरी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5636/08 दिनांक 01.08.08 आर. 888	श्रीमती कैलसुआ यादव पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव ग्राम पनवार चौहाननटोला जिला सीधी (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 5638/08 दिनांक 01.08.08 आर. 888	श्रीरामप्रसाद पटेल आ श्री चन्द्रभान पटेल ग्राम गोडगांव तह.सिंहावल जिला सीधी (पत्नी श्रीमती सुवारानी पटेल के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 43,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 43,000/- (रूपये त्रितालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 339/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीधी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- बैतूल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,25,000/- (रूपये पांच लाख पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5639/08 दिनांक 01.08.08 आर. 889	कलेक्टर बैतूल दिनांक 5.2.2008 को जिला बैतूल के ग्राम सोनाघाटी पर सड़क दुर्घटना में मृतको/घायलों के परिवार को सहायता	रूपये 5.00 लाख (पांच लाख)
2	एचसीएम. 5640/08 दिनांक 01.08.08 आर. 889	श्रीमती गजरा बाई पत्नी स्व. श्री छोटेलाल जामगांव तह. मुलताई जिला बैतूल (पुत्र के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5645/08 दिनांक 01.08.08 आर. 889	श्री धनराज आ. श्री नारायण साहू ग्राम महतपुर तह. मुलताई जिला बैतूल (पुत्र के पोलियो के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5648/08 दिनांक 01.08.08 आर. 889	श्रीमती भारती साबले पति श्री संजय साबले महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड आमला जिला बैतूल (पुत्री के मूकबधिरता के कारण सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5651/08 दिनांक 01.08.08 आर. 889 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री कन्हैयालाल यादव गौली मोहल्ला मोतीवार्ड जिला बैतूल (पुत्र विष्णु यादव के फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 5,25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 5,25,000/—(रुपये पांच लाख पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- कटनी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5654/08 दिनांक 01.08.08 आर. 890	श्री शहजाद खां वल्द श्री सुल्तान खां ग्राम बंगला (बड़खेरा) पो. आ. पड़रभटा तह. ढीमरखेड़ा जिला कटनी (पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5656/08 दिनांक 01.08.08 आर. 890	श्री शमीम खां आ. श्री सुल्तान खां ग्राम बंगला (बड़खेरा) पो.आ. पड़रभटा तह. ढीमरखेड़ा जिला कटनी (छोटे भाई की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- कटनी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-खंडवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5658/08 दिनांक 01.08.08 आर. 891	श्री अशफाक अहमद पिता श्री मोहम्मद खान एम. एल. बी. वार्ड जिला खण्डवा (पुत्र फैजल के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 5660/08 दिनांक 01.08.08 आर. 891	श्रीमती शारदा बाई पत्नी स्व. श्री दगडू मथेला तह. व जिला खण्डवा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 5667/08 दिनांक 01.08.08 आर. 891	श्रीमती सुभद्रा पत्नी स्व. श्री कमलवंशी विश्वकर्मा चिड़िया मैदान जिला खण्डवा (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 5668/08 दिनांक 01.08.08 आर. 891	श्री रामभरोस पिता श्री दमडूलाल अम्बाखाल तह. हरसूद जिला खण्डवा (कमर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 5671/08 दिनांक 01.08.08 आर. 891	श्रीमती मीना बाई पति स्व. श्री रायसिंह राजपूत पिपल्यालहार जिला खण्डवा (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खंडवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टॉजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-उज्जैन
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5673/08 दिनांक 01.08.08 आर. 892 मा.विधायक श्री शांतीलाल धबाई	श्री मोतीलाल शर्मा आ. श्री सुन्दरलाल जी शर्मा ग्राम आमला पां.आमला तह. बड़नगर जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सतना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5674/08 दिनांक 01.08.08 आर. 893	कलेक्टर सतना स्व. श्री हीरालाल सोनी रामपुर बघेलान जिला सतना (परिवार को सहायता)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख) प्रतिपूर्ति हेतु
		योग:-	रूपये 1,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सतना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बालाघाट
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5670/08 दिनांक 01.08.08 आर. 894 मा. विधायक श्री के. डी. देशमुख	श्रीमती बीरन बाई मेश्राम वार्ड क्र. 11 हीवरटोला कटंगी जिला बालाघाट (पोती कु. संध्या के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
2	एचसीएम. 5672/08 दिनांक 01.08.08 आर. 894	श्रीमती लता रूसिया पति श्री महेश रूसिया वार्ड नं. 15 अम्बेडकर चौक वारा सिवनी जिला बालाघाट (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 14,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बालाघाट (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- छिंदवाड़ा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,30,000/- (रूपये दो लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5676/08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक 4453 दिनांक 09.03.2008	कुमारी रजनी यादव वल्द श्री कलीराम यादव ग्राम लहगडुआ जिला छिंदवाड़ा (जल जाने से प्लास्टिक सर्जरी एवं उपचार हेतु) (कलेक्टर उपचार हेतु राशि हास्पिटल को जारी करेंगे तथा शेष राशि उपचार को दी जावेगी)	रूपये 1.60 लाख (एक लाख साठ हजार)
2	एचसीएम. 5679/08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 माननीय विधायक श्री मारोतराव खबसे	श्री विट्ठल किसना गुडधे मु. पैलेपार पोस्ट मारुड तह. पांदुरना जिला छिंदवाड़ा (पुत्र के ब्रेन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5678/08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 माननीय विधायक श्री नाना भाउ महोड	श्री शंकर राव धान्डे ग्राम पिपला नारायणवार तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

4	एचसीएम. 5680 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 माननीय विधायक श्री नाना भाउ महोड	श्री गणेश सिंह आ. श्री गजराज सिंह बिसेन ग्राम पिपला नारायणवार तह.सौंसर जिला छिंदवाड़ा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)
5	एचसीएम. 5681 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 माननीय विधायक श्री नाना भाउ महोड	श्री बसंता भायदे ग्राम बेलगांव तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
6	एचसीएम. 5675 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	श्री लक्ष्मीनारायण साहू आ. स्व. श्री झाड़ूलाल साहू सिंगोड़ी अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (पत्नी के ब्लड कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 5677 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 895 माननीय विधायक श्री मारोतराव खबसे	श्रीमती शांताबाई पत्नी श्री बसंता पवार संतोषीमाता वार्ड पांदुरना जिला छिन्दवाड़ा (पति के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
योग:-			रूपये 2,30,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,30,000 / - (रूपये दो लाख तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-399/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-मंडला
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5663/08 दिनांक 01.08.08 आर. 896	श्री आद्या प्रसाद मिश्रा आ. श्री वीरभद्र मिश्रा तह.बिछिया जिला मण्डला (पत्नी के लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 399/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंडला (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-406/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला-विदिशा/रायसेन/सीहोर/मुरैना/भोपाल/होशंगाबाद/उज्जैन/
देवास/रीवा/श्योपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,09,000/- (रूपये एक लाख नौ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5820/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्रीमती मोतीबाई पत्नि श्री रामनारायण शुक्ला नि. ठरर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5822/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री संतोष चौहान आ. श्री चौहान सिंह नि. ग्राम शिवतला तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5825/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री सतीश कुमार आ. श्री अमरसिंह नि. ग्राम खैरी सिलगेना तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5829/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री नर्मदा प्रसाद आ. श्री हमीरसिंह चौहान नि. ग्राम मछवाई तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5832/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री जयनारायण चौहान आ. श्री मंगलसिंह चौहान नि. ग्राम खोहा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5833/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री गुलाब सिंह चौहान नि. ग्राम सिलगेना पो. आमोन तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

7	एचसीएम. 5836 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि श्री केदार सिंह वनखंडी रोड जिला मुरैना (पति के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5841 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री बाबूलाल आ. श्री कालूराम नि. ग्राम जहाजपुरा तह. बुदनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5844 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री शोभनाथ गिरि, झुग्गी क्र. 190, जुन नगर कालोनी, 1250 टी.टी. नगर, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5848 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री आलम हरिजन आ. श्री हल्कू नि. ग्राम नोनभेंट तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5853 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्रीमती चिन्ताबाई पत्नि श्री कमलसिंह विश्वकर्मा नि. ग्राम जैत तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5858 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री इमरतलाल आ. श्री बाबूलाल मालवीय निवासी ग्राम बालागंज जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5752 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री लखनलाल अहिरवार आ. श्री बाबूलाल अहिरवार निवासी अन्नू नगर, वार्ड क्र. 66, निशातापुरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5753 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री बारेलाल आ. स्व. श्री मन्नुलाल निवासी वार्ड क्र. 56, रचना नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5754 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री दिनेश आ. श्री बाबूनाथ कालका माता मार्ग, नाथवाड़ा तराना जिला उज्जैन (पुत्री रोशनी के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5759 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्रीमती मनिबाई पत्नि श्री अमरसिंह नि. ग्राम पोलाय जागीर तह. सोनकच्छ जिला देवास (आंख में गठान के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5761 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री रामचंद्र आ. श्री कालूजी नि. ग्राम सरसोदा तह. सोनकच्छ जिला देवास (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
18	एचसीएम. 5764 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री ए.आर.खान निवासी ताला हाउस परिसर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
19	एचसीएम. 5766 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्री सुनील आ. श्री सियाराम मीना निवासी ग्राम आमल्दा तह. व जिला श्योपुर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)

20	एचसीएम. 5771/08 दिनांक 06.08.08 आर. 897	श्रीमती शोभा पत्नि श्री रामदास सिंह नि. महान नं. एस.727, नेहरू नगर, जिला भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 1,09,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,09,000/- (रूपये एक लाख नौ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 406/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/रायसेन/सीहोर/मुरैना/भोपाल/होशंगाबाद/उज्जैन/देवास/रीवा/श्यापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित

7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-405/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/सीहोर/कटनी/रतलाम/उज्जैन/खरगौन/
नरसिंहपुर/रायसेन/होशंगाबाद
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 4,78,000/- (रूपये चार लाख अठ्ठहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5755/08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री बब्लू चौधरी आ. श्री जगू चौधरी निवासी म. नं. 39, श्यामला हिल्स, कच्चे बंगला, पुलिस चौकी के पीछे जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5758/08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री लक्ष्मण सिंह वारेला आ. श्री खेमाजी वारेला नि. ग्राम इटावाखुर्द तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5760/08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री भाउराव गुजरे आ. श्री बंगाली गुजरे नि. मं. नं. 263 पंचशील नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5762/08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन श्री गोवर्धन पाल आ. श्री लक्ष्मण पाल निवासी देवराकलॉ तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5765/08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री यादवप्रसाद बेल्वासे आ. स्व श्री गुनाखर बेल्वासे नि. स्टेट बैंक गेस्ट हाऊस चार ईमली, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5768 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री अजित कुमार शिन्दे नि. म.न. 425 / 1 काटजू नगर जिला रतलाम (माताजी के उपचार हेतु)	रुपये 8,000 / - (आठ हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5769 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	संचालक, एल.बी.एस. हॉस्पिटल 73 ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री शिवनारायण विजयवर्गीय निवासी ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 35,000 / - (पैंतीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5772 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	संचालक, सी.एच.एल अपोलो अस्पताल इंदौर श्रीमती लीलाबाई पत्नी श्री रामगोपाल नि. मेली गली बहादूर गंज जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 50,000 / - (पचास हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5774 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्रीमती देवकी अहिरवार पत्नि स्व. श्री घनश्याम अहिरवार नि. ग्राम भीकनगांव , जिला खरगौन (उपचार हेतु)	रुपये 30,000 / - (तीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5777 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	संचालक, बाम्बे हॉस्पिटल, रिंग रोड इंदौर श्री कृष्णपाल राजपूत आ. श्री जितेन्द्र राजपूत निवासी ग्राम मांगरौला तह.व जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रुपये 50,000 / - (पचास हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5780 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री गिरीश कुमार चौहान आ. श्री भगवानदास चौहान नि. ग्राम व पोस्ट जोनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 40,000 / - (चालीस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5783 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	संचालक, एल.बी.एस हॉस्पिटल 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री परवचन्द गौर आ. स्व श्री तेजराम गौर निवासी ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 30,000 / - (तीस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5785 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	संचालक चिरायु हॉस्पिटल, 6, मालीपुरा भोपाल श्रीमती भागवती बाई पंवार निवासी ग्राम खनपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 60,000 / - (साठ हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5788 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्रीमती हल्की बाई पत्नि श्री जूजू सराठे नि. ग्राम जोबा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर (उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5792 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री नारायण सिंह आ. श्री गुलाब सिंह नि. ग्राम बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर (पत्नी श्रीमती रजनीबाई के उपचार हेतु)	रुपये 20,000 / - (बीस हजार मात्र)

16	एचसीएम. 5795 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्री माधो सिंह आ. स्व. श्री के.एस.चौहान नि. ग्रात व पोस्ट चौरहट तह. बाबई जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 /— (दस हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5800 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 898	श्रीमती गौराबाई पत्नी स्व. श्री बाबूलाल नि. जी.बी.कान्वेन्ट स्कूल के पास शंकराचार्य नगर स्टेशन एरिया जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 25,000 /— (पच्चीस हजार मात्र)
		योग:-	रुपये 4,78,000 /—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 4,78,000 /— (रुपये चार लाख अठ्ठहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-405 / 2008 / एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/सीहोर/कटनी/रतलाम /उज्जैन/
खरगौन/नरसिंहपुर/रायसेन/होशंगाबाद(मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन

इन-ट्रॉजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-407 /2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला- रायसेन /सतना/ भोपाल/सागर /राजगढ़/ शाजापुर (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,29,000/- (रूपये दो लाख उन्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5930 /08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री योगेन्द्र पटेल, अध्यक्ष शिव मंडल ग्राम दीवटिया , ब्लॉक औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (भजन मंडल की सामग्री क्रय हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5931 /08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री भगवान सिंह उईके, अध्यक्ष भजन मंडल हरई ग्राम हरई ब्लॉक औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (भजन मंडल की सामग्री क्रय हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5932 /08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री राजेश नागर, अध्यक्ष भजन मंडल प्रेम तालाब ब्लॉक औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5933 /08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री श्यामलाल गुप्ता निवासी बसोर बस्ती प्रियदर्शनी नगर उतैली जिला सतना (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5934 /08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नि श्री सुमेरी नि. ग्राम बगासपुर तह. गौहरगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5935 /08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री शिवकुमार मेवाड़ा आ. स्व श्री चैनसिंह मेवाड़ा नि. पं. दीनदयाल परिसर, भाजपा कार्यालय, ई-2 अरेरा कॉलोनी जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

7	एचसीएम. 5936 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह नि. अशोकनगर कॉलोनी वार्ड नं. 13, शेन्डे भवन जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5937 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री पीरेन देवरे नि. एस.ई.आई. 105, सुनहरी बाग, साऊथ टी.टी.नगर, जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 /- (आठ हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5938 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्रीमती कमलाबाई पत्नि श्री प्रभुदयाल नि. शिवनगर बस्ती वार्ड क्र. 32, 74 बंगला के पास जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5939 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्रीमती पुष्पा निवासी द्वारा श्री अनिल रावत, मकान नं. 69, जगदम्बा मार्ग, गढ़ाकोटा जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5815 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री युवराज सिंह आ. श्री मूल सिंह राजपूत नि. ग्राम सुठालिया परगना ब्यावरा जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5819 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री मेघराज आ. स्व. श्री जगदीश प्रसाद नि. ग्राम व पोस्ट सुल्तानपुर तह. गौहरगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5824 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री मनीराम चौहान आ. श्री छब्बीलाल नि. ग्राम बीलखेड़ी पोस्ट तामोट तह. गौहरगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5831 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	संचालक भोपाल आई हास्पिटल 29 राजदेव कालोनी भोपाल श्री दर्शन सिंह आ. श्री विक्रम सिंह निवासी ग्राम जैत तहसील बुधनी जिला सीहोर (आखों की शल्यक्रिया हेतु)	रूपये 6,000 /- (छह हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5834 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री देवीसिंह विश्वकर्मा (विकलांग) निवासी ग्राम चाकरोद तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5837 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री तुलसीराम विश्वकर्मा आ. श्री गोपीकिशन विश्वकर्मा नि. जुनि. एल.आई.जी 594 कटारा हिल्स बागमुगालिया एक्स जिला भोपाल (दुर्घटना में आई चोटों के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5840 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	श्री रमेश कर्ण नि. ग्राम पंचायत रातातलाई (सलामतपुर) सांची जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)

18	एचसीएम. 5842/08 दिनांक 06.08.08 आर. 899	संचालक बाम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट 12, न्यू मेरिन लाईन्स मुंबई श्री आजाद सिंह चौहान नि. ग्राम बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर (ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 80,000/- (अस्सी हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 2,29,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,29,000/- (रूपये दो लाख उन्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 407/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन /सतना/ भोपाल/सागर /राजगढ़/ शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/ संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-415 / 2008 / एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला- रायसेन / इंदौर / भोपाल / सीहोर (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,35,000/- (रूपये दो लाख पैंतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5866 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री विनोद जैन आ. श्री सुन्दरलाल जैन नि. वार्ड क्र. 13, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5893 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री शिवराज स्वामी निवासी 30/2, जोशी मोहल्ला महु जिला इंदौर (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5896 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री दीपक उपाध्याय, नि. आर.-24, सुन्दरनगर, बी.एच.ई.एल जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5897 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	संचालक, एल.बी.एस. हास्पिटल 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्रीमती शिमलाबाई शर्मा पत्नि श्री रविशंकर शर्मा निवासी न्यू सी. आई. कॉलोनी जहांगीराबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5900 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	संचालक, संजीवनी अस्पताल मोतिया तालाब के पास ताजुल मस्जिद रोड भोपाल श्रीमती आशा पांडे द्वारा श्रीमती अमिता बोरसे सी-74, रीगल होम्स खजूरीकला रोड, पिपलानी, जिला भोपाल (कैसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5901/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री ए.के. सिंह आ. श्री छत्रपाल सिंह नि. म.नं. एफ-4 साई टॉवर, अर्जुन नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5903/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री मूरतसिंह आ. श्री लक्खूसिंह यादव नि. बरखेड़ा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5905/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री रितेश कन्नोजिया निवासी म.नं. ए-83, कमला नगर कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5906/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्रीमती प्रेमबाई पत्नि श्री रामसिंह निवासी एस.727 नेहरू नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5907/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री भगवतसिंह कुशवाह आ. श्री तुलसीराम कुशवाह नि. ग्राम नोनिया बरेली तह. उदयपुरा जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5911/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री कैलाश रघुवंशी आ. श्री भगवानसिंह रघुवंशी नि. ग्राम टोंग तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5912/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री राजेन्द्र राजपूत आ. श्री साहबसिंह राजपूत नि. ग्राम मोठी तह. सिलवानी (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5913/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री रामदास वनाफर ग्राम अकोला तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5914/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री राजेन्द्र आ. श्री कारेलाल ग्राम अकोला तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5916/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री शंकरलाल आ. श्री आलमचंद नि. अकोला तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5917/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री सुखलाल टेलर मढ़ावन तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5918/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री घूरिया मास्टर हिरानी तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
18	एचसीएम. 5919/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री हीरालाल आ. श्री खुशीलाल निवासी ग्राम शाहगंज , तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

19	एचसीएम. 5921/08 दिनांक 06.08.08 आर. 900	श्री कैलाश सिंह श्री जावेद भाई निवासी 21, दवा बिल लाईन नीलम कालोनी बरखेडी जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 2,35,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,35,000/- (रूपये दो लाख पैंतीस हजार)मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 415 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/इंदौर/भोपाल/सीहोर (मध्य प्रदेश)
कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/ संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 408/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,05,000/- (रूपये एक लाख पाच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5790/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी स्व. श्री अमर सिंह निवासी मुखर्जी नगर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5796/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्रीमती प्रमिला तिवारी पत्नी श्री रामकिशोर तिवारी नि. एस.बी.जी. 4 सुनहरी बाग साउथ टी.टी.नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5799/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्री चिरोंजीलाल आ. श्री कालूराम विश्वकर्मा नि. ईदगाह चौराहा मुखर्जी नगर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5802/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्री सुजान सिंह कुशवाह नि. भगतसिंह कालोनी वार्ड न. 7 श्री विष्णुशंकर शर्मा के मकान में जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5805/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्रीमती रामकली बाई खटीक नि. कल्था बिल्डिंग के पास झुलनपीर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5809/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्रीमती सरजूबाई पत्नी स्व. श्री बाबूलाल नि. वार्ड 2 म.न. 33 ग्राम मूडरी पो घटेरा तह. बासोदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5811/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री अशोक जाटव नि. विद्याश्री लाज के पीछे गंजबासोदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5813/08 दिनांक 06.08.08 आर. 901	संचालक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ श्रीमती राधिका सिंह पत्नी श्री अशोक सिंह निवासी 52 सदर बाजार गंजबासोदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
योग:-			रूपये 1,05,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,05,000/- (रूपये एक लाख पाच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 408 /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-404/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- भोपाल/राजगढ़/दतिया/उज्जैन/शाजापुर/खरगौन/मंडला/
विदिशा/होशंगाबाद/जबलपुर/सिंगरोली.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 18,85,000/- (रूपये अठारह लाख पचयासी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5744/08 दिनांक 06.08.08 आर. 902	संचालक, भोपाल मेमोरियल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड़, भोपाल श्रीमती निर्मला ठाकुर पत्नी श्री जगदीश ठाकुर, निवासी लोहा बाजार काजीपुरा जिला भोपाल (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 2,00,000/- (दो लाख)
2	एचसीएम. 5746/08 दिनांक 06.08.08 आर. 903	संचालक, संजीवनी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, दशहरा मैदान, उज्जैन पंडित मुकेश दुबे आ. श्री बंशीलाल दुबे निवासी भोपालपुरा तह. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (सड़क दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के उपचार हेतु)	रूपये 80,000/- (अस्सी हजार)
3	एचसीएम. 5747/08 दिनांक 06.08.08 आर. 904	श्री महेश कुमार मिश्र मधुकर, निवासी पकौरिया महादेव जिला दतिया (रीड़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)

4	एचसीएम. 5749 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 905	संचालक, धर्मसिंह देसाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट(डी.डी.एम.एम.हाडर्ट इंस्टीट्यूट) मिशन रोड,नांदियाड, गुजरात श्री सुभाष चन्द्र नागर आ. श्री वासुदेव जी नागर नि. हाटकेश्वर सदन, 2 सखीपुरा, जिला उज्जैन (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 60,000 / - (साठ हजार)
5	एचसीएम. 5751 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 906	श्री हरिसिंह आत्मज श्री हजारीलाल, ग्राम आलनिया तह.कालापिपल जिला शाजापुर (आग लगने से सहायता हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
6	एचसीएम. 5827 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 907	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इन्दौर. श्री दिलीप भालसे आ.श्री राजराम भालसे नि. बड़ा तह. महेश्वर जिला खरगौन (पुत्र मास्टर शिवराम हरिजन के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 90,000 / - (नब्बे हजार)
7	एचसीएम. 5838 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 908	संचालक, ऐम्स हास्पिटल नई दिल्ली. श्रीमती वर्षा सोनी पति श्री राकेश सोनी निवासी नर्मदा जी वार्ड जिला मंडला (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार)
8	एचसीएम. 5845 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 909	श्रीमती पानबाई पत्नि स्व. श्री रम्मूलाल ग्राम पिपरिया तह. नटेरन जिला विदिशा (करीला मेला में पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
9	एचसीएम. 5859 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 910	संचालक, नेशनल हास्पिटल भोपाल. श्री अजय कुमार परदेशी निवासी सदर बाजार वार्ड नं.20 जिला होशंगाबाद (माताजी श्रीमती मुलिया बाई के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
10	एचसीएम. 5863 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 911	संचालक, भोपाल मेमोरियल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड, भोपाल श्री प्रदीप वर्मा आ. श्री नरेन्द्र वर्मा, निवासी 72, सरोज नगर नारियल खेड़ा जिला भोपाल (ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 60,000 / - (साठ हजार)
11	एचसीएम. 6069 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 912	अध्यक्ष, सेवा भारती मध्य भारत मातृछाया स्वामी रामतीर्थ नगर, भोपाल (आनंद धाम भवन निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000 / - (पांच लाख) नियमों को शिथिल करते हुए
12	एचसीएम. 6070 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 913	अध्यक्ष, सरस्वती शिक्षा परिषद, जबलपुर (अमरकंटक योग केन्द्र अमरकंटक हेतु)	रूपये 5,00,000 / - (पांच लाख) नियमों को शिथिल करते हुए

13	एचसीएम. 6135 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 911	संचालक, शंकर नेत्रालय चेन्नई (मद्रास) श्री रामनाथ साहू पिता श्री भालू निवासी ग्राम सोनगढ़ तह.देवसर जिला सिंगरोली (शल्य क्रिया हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार)
		योग:-	रूपये 18,85,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 18,85,000/- (रूपये अठारह लाख पिचयासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-404/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

3. कोषालय

अधिकारी,

जिला-

भोपाल/राजगढ़/दतिया/उज्जैन/शाजापुर/

खरगौन/मंडला/विदिशा/होशंगाबाद/जबलपुर/सिंगरोली. (मध्य प्रदेश)

कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-427 / 2008 / एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/भोपाल/सीहोर/हरदा/रीवा/छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,15,000/- (रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार)) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6073 / 08 दिनांक 07.08.08 आर. 915	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, 6, मालीपुरा भोपाल श्री प्रीतम रघुवंशी निवासी ग्राम अमऊखेड़ी जिला विदिशा (दुर्घटना में घायल हो जाने पर उपचार हेतु)	रूपये 80,000/- (अस्सी हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5728 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 916 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री देवी प्रसाद डी-102/9, शिवाजी नगर सर्वेन्ट क्वार्टर जिला भोपाल (माताजी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5729 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 916 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री अनिल कुमार द्विवेदी ए-116, सोनिया गांधी परिसर हजेला हॉस्पिटल पी.एन.टी. चौराहा जिला भोपाल (जोड़ो में दर्द एवं कमर दर्द के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5730 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 916	श्री सुभाष यादव आ. श्री जगदीश यादव ग्राम वावरी पो. डीमावर तह नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पत्नी श्रीमती कलावती के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5731 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 916 मा. मंत्री श्री कमल पटेल	श्री अशोक जाट पिता श्री चतुरजी जाट ग्राम अजनास जिला हरदा (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5732/08 दिनांक 06.08.08 आर. 916	संचालक, जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी श्री राम लल्लू सिंह ग्राम मझियारी पो. गढी (सोहवा) तह. त्योथर जिला रीवा (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5733/08 दिनांक 06.08.08 आर. 916	श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री कृष्ण केशर द्विवेदी 96, क्वाटर बी-15/4, 8 वीं बटालियन जिला छिंदवाड़ा (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5745/08 दिनांक 06.08.08 आर. 917	संचालक, जीवन रेखा अस्पताल मोतिया तालाब रोड भोपाल मो. इरफान शाह. आ. श्री सुबराती शाह नि. ग्राम सोना विकास खंड सिरोंज जिला विदिशा (सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5763/08 दिनांक 06.08.08 आर. 917	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री प्रेमनारायण आ. श्री प्रभुदास नि. छटेरा वाली धर्मशाला गंजबासौदा जिला विदिशा (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5750/08 दिनांक 06.08.08 आर. 917	संचालक, चिरायु हास्पिटल भोपाल श्री अशोक कुमार शर्मा नि. 155 डॉ अंबेडकर नगर माता मंदिर के पास साउथ टी.टी. नगर जिला भोपाल (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5756/08 दिनांक 06.08.08 आर. 917	श्री दिलीप आ. श्री लक्ष्मण निवासी हॉस्पिटल रोड, मा. राघवजी के निवास के पीछे जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5757/08 दिनांक 06.08.08 आर. 917	श्री मुन्ना आ. श्री परमा नि. ग्राम आमाछार बैस, तह. व जिला विदिशा (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 3,15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,15,000/- (रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 19

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-427/2008/एक (1)

/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/भोपाल/सीहोर/हरदा/रीवा/छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-411/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,15,000/- (रूपये एक लाख पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5734/08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री रमेश आ. जगन्नाथ कुशवाह निवासी राजेन्द्र नगर बक्सरिया जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5735/08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्रीमती रजनी पत्नी श्री पन्नालाल चिढ़ार नि. दुर्गा चौक तलैया जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5736/08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री रघुवीर अहिरवार आ. श्री रामलाल नि. ग्राम नटेरन (इंद्राकालोनी)तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5737/08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री भागीरथ आ. श्री शोभाराम सेन नि. ग्राम नौलाम तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5738/08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री अजुद्धीबाई पत्नी श्री धन्नालाल मालवीय नि. विजय मंदिर के पास किले अंदर जिला विदिशा (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5739/08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री चरण सिंह पुत्र श्री पदम सिंह राजपूत नि. वार्ड न. 19 बंटीनगर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)

7	एचसीएम. 5740 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री मन्नूलाल आ. श्री हल्क मांझी नि. ग्राम कुआखेडी तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5741 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	पिंकी अहिरवार पुत्री श्री भगवत सिंह नि. लोहांगीपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5742 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री लल्ला आ. श्री बुद्धा अहिरवार नि. ग्राम बींझ तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5743 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 918	श्री शिवनारायण आ. श्री माघोसिंह कुशवाह नि. ग्राम धामनोद (फारंगपुर) तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5776 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्री लालसिंह अहिरवार आ. श्री गोरेलाल अहिरवार नि. कागदीपुरा वार्ड नं. 13, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5779 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्री लालाराम अहिरवार आ. श्री प्रेमचंद अहिरवार नि. वार्ड क्रमांक 31, शेरपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (तीन हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5781 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्री गुलाब सिंह गुर्जर नि. सागर पुलिया सागर रोड सुभाष नगर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5786 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्री मुल्लू आ. श्री मटरू नि. ग्राम बागरी वि.ख. जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5789 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्री सूरज सिंह आ. श्री भवरजीत नि. ग्राम बागरी वि.ख. जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5794 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्रीमती कृष्णा बाई पत्नि स्व. श्री उमाशंकर बरसैया निवासी गांधी चौक गुलाबगंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 20,000 / - (बीस हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5798 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्रीमती कलाबाई पत्नि स्व. श्री परमानंद नामदेव नि. लुहांगीपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
18	एचसीएम. 5803 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	संचालक पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्रा. लिमिटेड 6 मालवीय नगर भोपाल श्री अजबसिंह आ. श्री गप्पूलाल विश्वकर्मा नि. किले अंदर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 50,000 / - (पचास हजार मात्र)

19	एचसीएम. 5806 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 919	श्री कुन्नीलाल यादव म.नं. एक्स 2 / 60 ए, टेम्परेरी क्वार्टर्स , तुलसी नगर जिला भोपाल (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 1,15,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,15,000/- (रूपये एक लाख पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 411 / 2008 / एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18 / 08 / 2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-410/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/शाजापुर/होशंगाबाद/सागर/मुरैना/देवास/सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 68,000/- (रूपये अड़सठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5767/08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री विनोद रजक आ. श्री पतिराम नि. म.नं. 229, भीमनगर, वल्लभ नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5770/08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्रीमती पार्वती वर्मा पत्नि स्व. श्री मांगीलाल निवासी ग्राम जामनेर तह. शुजालपुर, जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5773/08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री अमरसिंह आ. श्री राधेलाल नि. ग्राम पगढाल,तह. सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5775/08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री राहुल पंवार आ. श्री रविन्द्र पंवार नि. म.नं. 21 सुदामा नगर, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5778/08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, 6, मालीपुरा भोपाल श्रीमती कमलाबाई अहिरवार पत्नि श्री पूरन सिंह अहिरवार निवासी गुरु घासीदास कॉलोनी वार्ड नं. 1, गौर नगर जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5782 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्रीमती लक्ष्मीदेवी जाटव पत्नि श्री राजेन्द्र प्रसाद जाटव नि. अम्बेडकर नगर, न्यू बस स्टैंड वार्ड क्र. 3, जौरा जिला मुरैना (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5784 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	राजेन्द्र प्रसाद जाटव नि. अम्बेडकर नगर, न्यू बस स्टैंड वार्ड क्र. 3, जौरा जिला मुरैना (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5787 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री रामसिंह लोदा नि. ग्राम पाडूयदेह तह. खातेगांव जिला देवास (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5791 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री राकेश कुमार नि. ग्राम घामनिया तह. सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5793 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्रीमती तनवीर खान पत्नि श्री एफ.एम. खान नि. म.नं. बी-2 आकांक्षा अपार्टमेंट एच.बी. कॉलोनी कोहेफिजा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5797 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्रीमती तलत बानो पत्नि श्री एस.ए. खान नि. म.नं. 59, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहेफिजा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5801 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री नकलसिंह आ. श्री गिलदार सिंह नि. ग्राम पाटतलाई , पो चकल्दी, तह, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 /- (तीन हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5804 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्रीमती शकीला बी पत्नि स्व. श्री मुजीब खां नि. वार्ड क्र. 04, मुस्लिम मो. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 /- (तीन हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5807 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री फिरोज खां निवासी न.पं. कार्यालय के पास, वार्ड क्र.02, कन्नोद जिला देवास (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 /- (तीन हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5808 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 920	श्री रेवाराम आ. श्री रघू नि. ग्राम घुटवानी, पो. पिपलानी तह. नसरुल्लागंज . जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 /- (तीन हजार मात्र)
योग:-			रूपये 68,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 68,000 /- (रूपये अड़सठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 410/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/शाजापुर/होशंगाबाद/सागर
/मुरैना/देवास/सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-412/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला-विदिशा/रायसेन/भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार रूपये 1,12,000/- (रूपये एक लाख बारह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5812/08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री मन्नूलाल आ. श्री भंमरा हरिजन नि. ग्राम सिन्नोटा तह. बासौदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5814/08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्रीमती शकुन बाई पत्नी स्व. श्री कल्याण सिंह लोधी नि. थाने के पास गुलाबगंज तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5816/08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री चंदन सिंह आ. श्री हेमराज विश्वकर्मा नि. ग्राम कछुआ तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5818/08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री बसंत आ. गंगाधर मूले नि. शेरपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5821/08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री लच्छीराम आ. श्री पन्नालाल लोधी नि. ग्राम कछुआ तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5823/08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री खुमान सिंह लोधी नि. विद्याविहार कालोनी एफ.सी आई के पीछे जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

7	एचसीएम. 5826 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री बालकिशन आ. श्री मोहनलाल नि. ग्राम छीरखेडा ब्लाक गैरतगंज जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5828 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 921	श्री रूप सिंह लोधी नि. विद्या विहार कॉलोनी एफ.सी.आई के पीछे जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5835 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री राजकुमार जैन नि. एम.एल.बी के सामने डंडापुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5839 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाह नि. रामलीला चौराहा चटनी मिल के सामने जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 /- (दो हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5843 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री रामस्वरूप आ. श्री भैयालाल नि. ग्राम ताज खजूरी तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 /- (दो हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5849 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्रीमती सावत्री बाई पत्नि स्व. श्री पूरन सिंह नि. ग्राम दिधौरा तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5852 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री आशीष ढोके निवासी झुग्गी नं. 148 राहुल नगर पम्पापुर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000 /- (तीन हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5856 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्रीमती गुलाब बाई पत्नि श्री कालूराम कुर्मी नि. ग्राम बरेठा तह. कुरवाई जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5873 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री धारू सिंह आ. श्री नथनसिंह निवासी ग्राम मझेरा तह. शमशाबाद जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5876 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री हल्कई कुशवाहा आ. श्री दंगल नि. ग्राम नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5880 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	श्री भंवरलाल यादव निवासर वार्ड क्र. 34, पूरनपुरा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (पांच हजार मात्र)
18	एचसीएम. 5882 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 922	अधीक्षक , गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल श्री प्रदीप आ. श्री पहाड़ी नि. वार्ड क्रमांक 1. गंज बासौदा जिला विदिशा (पुत्री के उपचार हेतु)	रुपये 30,000 /- (तीस हजार मात्र)
		योग:-	रुपये 1,12,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,12,000/- (रूपये एक लाख बारह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 412/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/रायसेन/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 426/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-भोपाल/मुरैना/शाजापुर/सीहोर/उज्जैन/रायसेन/बैतूल/खरगौन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार रूपये 4,05,800/- (रूपये चार लाख पांच हजार आठ सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5923/08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक, एल.बी.एस हॉस्पिटल 73, ताजुल मस्जिद रोड, मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री रामरतन आ. श्री मांगीलाल नि. मकान नं. 624, वार्ड क्र. 64 दशमेश नगर जिला भोपाल (पुत्र मा. राकेश के उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
2.	एचसीएम. 5924/08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर नई दिल्ली श्री किशोरकुमार दौंदेरिया नि. नई थोक सब्जी मंडी गेट के सामने ज्ञान ज्योति स्कूल के बाजू में जिला मुरैना (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
3.	एचसीएम. 5925/08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल श्री प्रहलाद सिंह आ. श्री गंगाधर सिंह मेवाड़ा नि. ग्राम रानीबड़ोद जिला शाजापुर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5926/08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती शांतिबाई पत्नी श्री राम मिलन निवासी बस स्टैंड के पीछे शास्त्री कालोनी नसरुल्लागंज जिला सीहोर (स्तन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)

5	एचसीएम. 5927 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हॉस्पिटल इंदौर श्रीमती गीताबाई बागरी निवासी ग्राम ढाबलासिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 /- (पच्चीस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5928 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	श्रीमती माया गुप्ता पत्नी स्व. श्री संतोष कुमार गुप्ता निवासी वार्ड क्र. 17 बेगमगंज जिला रायसेन (हाथ में फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5929 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक गुरुदत्त यूरो हॉस्पिटल फायर बिग्रेड के सामने हमीदिया अस्पताल के पास फतेहगढ़ भोपाल श्री निरपत सिंह आ. स्व श्री आनन्दी लाल नि. ग्राम खपरिया कलां जनपद बाडी तह बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5865 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	श्रीमती रजनी मालवीय पत्नी श्री किशोरीलाल मालवीय नि. ग्राम भोरा तह. शाहपुर जिला बैतूल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5869 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	श्री कैलाश सिंह आ. श्री स्वरूप सिंह नि. ग्राम रेहटी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 /- (पच्चीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5878 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	श्री आरिफ अली खॉ आ. श्री शौकत खॉ नि. अहाता रुस्तम खां रहबर कान्वेंट के पास श्यामला हिल्स जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5888 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री शिवदास धाकड़ आ. श्री फूल सिंह नि. ग्राम खैरी मुगली पोस्ट कुचवाड़ा तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5891 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	श्री रतनलाल निवासी ए-111 पुजाश्री नगर सी.टी.ओ. बैरागढ़ जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 /- (पच्चीस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5895 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	श्री संतोष वर्मा आ. स्व. श्री मांगीलाल वर्मा नि. मकान नं. 1077, दुर्गा चौक शाहपुरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)

14	एचसीएम. 5899 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हॉस्पिटल इंदौर श्री दामोदरलाल महाजन आ. स्व श्री गोविंदलाल महाजन निवासी 105, महात्मा गांधी मार्ग जिला खरगौन (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /— (चालीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5902 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 923	संचालक, भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेघदूत गार्डन के सामने इंदौर श्रीमती गणपति बाई पत्नि श्री शिवचरण निवासी ग्रो घोघरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 8,800 /— (आठ हजार आठ सौ मात्र)
योग:—			रूपये 4,05,800 /—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 4,05,800 /— (रूपये चार लाख पांच हजार आठ सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टॉजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008—09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या—1— सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—105—मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान—(42) —सहायक अनुदान—007—अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-426/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

19/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/मुरैना/शाजापुर/सीहोर/उज्जैन/
रायसेन/बैतूल/खरगौन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार
पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 417/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- सीहोर/भोपाल/होशंगाबाद

(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 92,000/- (रूपये बानवे हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5846/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री रामू आ. श्री राजाराम नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (अग्निकाण्ड में मकान जलने पर)	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
2	एचसीएम. 5847/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री रामौतार आ. श्री राजाराम नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
3	एचसीएम. 5850/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्रीमती कलाबाई पत्नी श्री रामदयाल नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5851/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री नत्थू आ. श्री राजाराम नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5854/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री रंजू आ. श्री राजाराम नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
6	एचसीएम. 5855/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री मनोहर आ. श्री राजाराम नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)

7	एचसीएम. 5857/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री नारायण आ. श्री राजाराम नि. ग्राम मुहाई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5860/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्रीमती प्रयागबाई पत्नी श्री श्रीराम नि. ग्राम नारायणपुरा तह0 नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
9	एचसीएम. 5861/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री जगन्नाथ आ. श्री सुखदेव नि. ग्राम नारायणपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5862/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्रीमती ताराबाई पत्नी श्री देवलाल नि. ग्राम नारायणपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5864/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री कैलाश सेनी आ. श्री बोंदर सैनी नि. ग्राम इटारसी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5866/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्रीमती संध्या राठौर आ. श्री धर्मेन्द्र राठौर नि. ग्राम इटारसी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
13	एचसीएम. 5867/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री मोतीसिंह आ. श्री गोपाल सिंह नि. ग्राम इटारसी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5870/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री बिहारीलाल आ. श्री श्यामलाल नि. ग्राम ससली तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5872/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	सुश्री अंजु गुप्ता नि. काली मंदिर के पास ग्वालटोली जिला होशंगाबाद	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
16	एचसीएम. 5875/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री शंकर यादव आ. श्री बाबूलाल यादव नि. म.न. 35 कोटरागांव जिला भोपाल	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम. 5877/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री बाबूलाल यादव आ. श्री रामकिशोर यादव नि. म.न. 35 कोटरा गांव जिला भोपाल	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
18	एचसीएम. 5881/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	कृ. राधा कामले नि. झुग्गी न. 124 शिवनगर कालोनी टी.टी.नगर जिला भोपाल	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
19	एचसीएम. 5884/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री मुकेश सिंह आ. श्री जगदीश सिंह नि. झुग्गी न. 3 शिवनगर कालोनी 74 बंगला वार्ड क्रमांक 32 जिला भोपाल	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

20	एचसीएम. 5887/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री अन्सार खान नि. झुग्गी न. 12 संजय काम्पलेक्स के पास माता मंदिर के पीछे जिला भोपाल	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
21	एचसीएम. 5889/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्रीमती शीला जैन निवासी ग्राम लाड़कुई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
22	एचसीएम. 5892/08 दिनांक 06.08.08 आर. 924	श्री दिनेश कुमार खण्डेलवाल आ. श्री शालीगराम खण्डेलवाल तृ.नि. शास्त्री कालोनी नसरुल्लागंज जिला सीहोर	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 92,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 92,000/- (रूपये बानवे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-417/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/भोपाल/होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)**
कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर
संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि**
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-423/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला- बैतूल/भोपाल/देवास/सीहोर/रायसेन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,77,500/- (रूपये दो लाख सतत्तर हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5868/08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री गुलाबराव आ. श्री भैयाजी जैन, मु.पो. मसोद, तह.मुलताई जिला बैतूल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
2	एचसीएम. 5871/08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री जोएब हुसैन आ. श्री हकीमउद्दीन निवासी म.नं.4, सेफिया कॉलेज रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
3	एचसीएम. 5874/08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री गोलू चौहान आ. श्री हरीराम चौहान नि. मकान नं. 23, भोईपुरा कुम्हारपुरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
4	एचसीएम. 5879/08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री यशवंत श्रीवास्तव आ. श्रीधनपतराय नि. 44, काजीपुरा गलीनं.2 जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
5	एचसीएम. 5883/08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री गोविन्दसिंहकिरार आ.श्री लीलाकिशन किरार, नि. ग्राम तूमड़ा, पुलिस थाना खजूरी सड़क, तह. हुजुर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

6	एचसीएम. 5885 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्रीमती बसंतीबाई नि. मकान नं. 71 गुजरपुरा, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 5890 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री सिद्धनाथ आर्य आ. श्री सावंत सिंह आर्य नि. खरेली, तह.टोंकखुर्द, जिला देवास (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पंद्रह हजार मात्र)
8	एचसीएम. 5894 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	संचालक, नेशनल हॉस्पिटल, अरेरा कालोनी भोपाल श्री राधेश्याम साहू आ. श्री शिवप्रसाद साहू नि. ग्राम बांया, तह.बुधनी,जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 35,500 / - (पैंतीस हजार पांच सौ मात्र)
9	एचसीएम. 5898 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा.लि., ई-3 / 23, अरेरा कालोनी, भोपाल श्री महेश कुमार सल्लाम आ. श्री बालाप्रसाद सल्लाम नि. म.नं. जे.जे.-47, शाहपुरा झुग्गी, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 5904 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, 6 मालीपुरा, भोपाल श्री प्रताप सिंह ठाकुर आ. श्री सरदार सिंह नि. ग्राम मुआंर(डूमर) तह. बरेली, जिला रायसेन (हृदय के वाल्व बदलने हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार मात्र)
11	एचसीएम. 5908 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	संचालक, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 41 जोन-2 एम.पी.नगर भोपाल श्रीमती मिथिलेश राजा पत्नि श्री एस.एस. बुन्देला नि. जी-3 / 1, न्यू 66 लाईन, 25वीं बटालियन, भदभदा रोड, जिला-भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार मात्र)
12	एचसीएम. 5910 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, 6 मालीपुरा, भोपाल श्री दीनदयाल विश्वकर्मा आ. श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा नि. ग्राम डोबी तह. बुधनी जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पंद्रह हजार मात्र)

13	एचसीएम. 5915 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	संचालक, पी. एण्ड ओ. इन्टरनेशनल आई.एन.सी,विमहान्स हॉस्पिटल, 1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-65 श्री रजनीश सेन आ. श्री नामदेव सेन नि. ए-96, शस्त्री नगर, जिला भोपाल (कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हेतु)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार मात्र)
14	एचसीएम. 5920 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्रीमती ममता विश्वकर्मा पुत्री श्री नन्हेलाल विश्वकर्मा नि.ग्राम मगरमौली, तह.सिलवानी जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 5922 / 08 दिनांक 06.08.08 आर. 925	श्री कमलेश शर्मा नि. ग्राम मंडी, तह. नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 2,77,500 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,77,500/- (रूपये दो लाख सतत्तर हजार पांच सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-423/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल/भोपाल/देवास/सीहोर/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 419/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/भोपाल/सागर/शाजापुर/गुना/बैतूल/रीवा/इन्दौर.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,43,000/- (रूपये दो लाख त्रितालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6074/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	संचालक,आदर्श अस्पताल शाहजहांनाबाद भोपाल श्रीमती नर्मदाबाई पत्नि श्री कामताप्रसाद रिछारिया नि. ग्राम पठारी, तह. कुरवाई जिला विदिशा (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6075/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	श्रीमती बिलकिस जहां पत्नि श्री हामिद अली खान नि. मकान नं. 146, हाता रूस्तम खां मेन रोड, रेडियो स्टेशन के पास, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6076/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	संचालक,एल.बी.एस. हॉस्पिटल, 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्री भूपेन्द्र श्रीवास्तव आ. श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव नि. लोहांगीपुरा, लवकुश विद्यालय के पास, जिला विदिशा (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 28,000/- (अट्ठाईस हजार मात्र)

4	एचसीएम. 6077/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	श्री प्रेमनारायण धोबी आ. श्री रंछोर धोबी नि. वार्ड क्र. 20, बामोरा, वि.ख. बीना जिला सागर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6078/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	श्री रामस्वरूप अहिरवार आ. श्री मिट्टूलाल अहिरवार नि. मुखर्जी नगर, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6079/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	श्री नीलेश जैन नि. श्री महावीर दिगम्बर जैन धर्मशाला, जहांगीराबाद, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6080/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	संचालक, भोपाल फैंक्चर हॉस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर, अरेरा कालोनी भोपाल श्री अमरसिंह आ. श्री खिलान सिंह रघुवंशी नि. ग्राम पथरिया, तह. सिरोंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6081/08 दिनांक 07.08.08 आर. 926	श्री नत्थू अहिरवार आ. श्री हरि निवासी वार्ड नं. 20, बामोरा, वि.ख. बीना, जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6082/08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	श्री हरिकृष्ण पटेल आ. श्री पारसनाथ पटेल पुरानी बस्ती बागसेवनिया, दुर्गा मंदिर के सामने, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6083/08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल श्रीमती सुगनबाई पत्नि श्री बद्रीलाल मीना निवासी देवराखेड़ी, पो. कालापीपल जिला शाजापुर (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6085/08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	श्री विष्णुदेव प्रसाद नि. झुग्गी नं. 33, सतनामी नगर, हनुमान मंदिर के पास, जिला भोपाल (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6087/08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	श्रीमती श्यामबाई पत्नी श्री मुन्नालाल नि. म.प. 163 सी सेक्टर शिव शक्ति नगर चांदबाड़ी क्षेत्र विदिशा रोड वार्ड क्र. 65 जिला भोपाल (टी.बी. के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)

13	एचसीएम. 6091 / 08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	श्री मांगीलाल आ. श्री नैनाराम बंजारा नि. ग्राम खजरा तह. राघोगढ़ जिला गुना (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (दो हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6094 / 08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	संचालक, राष्ट्र संत तुकडोजी रिजनल कैंसर हास्पिटल नागपुर महाराष्ट्र श्री मनोज खण्डेलवाल निवासी हनुमान मंदिर के पीछे विकास नगर कालापाठा जिला बैतूल(पुत्री भूमिका के उपचार हेतु)	रुपये 15,000 / - (पंद्रह हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6096 / 08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	संचालक, जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी श्री रामलल्लू सिंह नि. ग्राम मझियारी पो. गढ़ी (सोहवी) तह. त्योंथर जिला रीवा(कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
16	एचसीएम. 6097 / 08 दिनांक 07.08.08 आर. 927	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इंदौर श्री भगवानलाल आ. श्री हजारीलाल नि. ग्राम पुर्वाडादाई पो. बरलाई जागीर तह. सांवेर जिला इंदौर(वाल्व के उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
		योग:-	रुपये 2,43,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,43,000 / - (रूपये दो लाख त्रितालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
 अवर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग
 भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-419/2008/एक (1)
 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला-** विदिशा/भोपाल/सागर/शाजापुर/गुना/
 बैतूल/रीवा/इन्दौर (मध्य प्रदेश) **कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के
 आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।**
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
 माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
 संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
 मध्य प्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-418/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- सागर/भोपाल/टीकमगढ़/सीधी.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,31,000/- (रूपये एक लाख इकतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6084/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, 6 मालीपुरा, भोपाल श्री रीतेश कुमार आ. श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा नि. बंडा, जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 6086/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	श्रीमती पार्वतीबाई पत्नि श्री राज हरिजन, नि. न्यू ब्लॉक कैची छोला वार्ड नं. 15 जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6088/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	श्री गणेश आ. श्री पूरण नि. नारियलखेड़ा तह. व जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
4	एचसीएम. 6089/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	डीन, गांधी मेडिकल कालेज भोपाल श्री प्रकाश चन्द पटवा आ.श्री बालाप्रसाद पटवा,नि. ग्राम खुरई, जिला सागर (पुत्री मोनिका के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
5	एचसीएम. 6090/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	श्री रामचरण आ.श्री दुर्गाप्रसाद अहिरवार, नि. राजीवनगर वार्ड, जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 6092/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	श्रीमती कुन्तीबाई पत्नि श्री डालचन्द नि. संतकबीर वार्ड क. 37, जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 6093/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	श्री गया प्रसाद आ.श्री चैतू अहिरवार,नि. ग्राम करई, तह.व जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
8	एचसीएम. 6095/08 दिनांक 07.08.08 आर. 928	संचालक, नेशनल अस्पताल अरेरा कालोनी, भोपाल श्री देवेन्द्र पाण्डेय आ. स्व.श्री आर.पी. पाण्डेय, नि. बण्डा, जिला सागर (सड़क दुर्घटना में आई चोटों के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम. 6099/08 दिनांक 11.08.08 आर. 929	संचालक, गुरुदत्त यूरो हॉस्पिटल, हमीदिया अस्पताल के पास, भोपाल श्रीमती लाडकीबाई नि.बी-78, भेल संगम कॉलोनी, बागसेवनिया जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
10	एचसीएम. 6100/08 दिनांक 11.08.08 आर. 929	श्रीमती रामलली बाई पत्नि श्री रामस्वरूप पाठक, नि. ग्राम नैगुवां, जिला टीकमगढ़ (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
11	एचसीएम. 6101/08 दिनांक 11.08.08 आर. 929	श्रीमती विजयलक्ष्मी शुक्ला पुत्री श्री रामनरेश शुक्ला, जिला सीधी (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
12	एचसीएम. 6102/08 दिनांक 11.08.08 आर. 929	श्री शिवचरण आ. श्री मूलचन्द नि. म.नं. 1019,एन-2, बी सेक्टर, गोविन्दपुरा जिला भोपाल. (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 1,31,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,31,000/- (रूपये एक लाख इकतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 418/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सागर/भोपाल/टीकमगढ़/सीधी . (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 420/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- रायसेन/भोपाल/इंदौर/सतना/सीहोर.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,27,000/- (रूपये तीन लाख सत्ताईस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6110/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्रीमती फूलबाई पत्नि स्वं. श्री छगनलाल, नि. गैरतगंज, जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6111/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्री श्यामलाल विश्वकर्मा आ. श्री ताराचंद विश्वकर्मा, नि. सी-804,सी- सेक्टर शाहपुरा, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6112/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्री पुष्पराज सिंह, नि. ए-267, ओमनगर नयापुरा कोलार रोड़ जिला भोपाल. (माताजी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6113/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	संचालक, मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजीकल हॉस्पिटल, डॉ. वीरेन्द्र देसाई रोड़, नादियाड, गुजरात श्री अपूर्व रस्तोगी आ. स्वं. श्री उमेशचन्द्र रस्तोगी नि. ई-8/56,12 नं.स्टाप के पास शिवाकुंज जिला भोपाल (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
5	एचसीएम. 6114/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्रीमती मंजू सिंह पत्नि श्री श्यौराज सिंह, नि. मं.नं.16, 96 लाईन, भदभदा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)

6	एचसीएम. 6115/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्रीमती अनुराधा गुप्ता पत्नि स्व.श्री के.पी. गुप्ता नि. म.नं.13, न्यू सुभाष नगर, अनीस मंजिल के सामने, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 6116/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्रीमती प्रीति चौहान पत्नि श्रीकुरबानसिंह चौहान नि. मीरा मंदिर ईश्वर नगर, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 12,000/- (बारह हजार)
8	एचसीएम. 6117/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	संचालक, बाम्बे हॉस्पिटल रिंगरोड, इन्दौर श्री राजेश्वर कानूनगो निवासी 16/2, कानूनगो बाखल प्रिंस यशवंत रोड, राजवाड़ा के पास जिला इन्दौर. (ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख)
9	एचसीएम. 6118/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्रीमती विमला मोटवानी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल मोटवानी नि. वार्ड नं. 20 जिला सतना. (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम. 6119/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्री हरिसिंह चौहान नि. ग्राम खितवाई तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
11	एचसीएम. 6120/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्री संजय नाथ आ. श्री छोटेनाथ नि. ग्राम आशापुरी, भोजपुर जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
12	एचसीएम. 6121/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	संचालक, चिरायु कार्डिएक सेन्टर, 6 मालीपुरा, भोपाल श्रीमती मनोरमाजोशी पत्नि श्री शिवप्रसाद जोशी नि. महामाई का बाग मं.नं.130, स्टेशन रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
13	एचसीएम. 6122/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	मो. युनूस आ. स्व. श्री ईस्माईल नि. म.नं. 05 नियर मोपाल ब्लड बैंक फतेहगढ़, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
14	एचसीएम. 6123/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्रीमती राधा शर्मा, शिक्षाकर्मी वर्ग-3, शा. मा.शाला चांदाग्रहण तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पैर फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम. 6124/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्री टी.आर.गोले निवासी ई-8/61, भरत नगर शाहपुरा जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

16	एचसीएम. 6125/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा.लि. अरेरा कालोनी भोपाल श्री साहबसिंह गौर आ. श्री होरकलाल गौर नि. ग्राम सिलवाह तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार)
17	एचसीएम. 6126/08 दिनांक 11.08.08 आर. 930	श्री पी.एन. दशोतर नि. द्वारा डॉ.अखिलेश जैन डेंटल क्लीनिक न्यू मार्केट एम.एल.ए क्वार्टर के पास जिला भोपाल (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 3,27,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,27,000/- (रूपये तीन लाख सत्ताईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-420/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय** **अधिकारी,**
- जिला-रायसेन/भोपाल/इंदौर/सतना/सीहोर(मध्यप्रदेश) **कृपया आवंटन**
- इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित **कलेक्टर**
- को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि**
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 424/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/भोपाल/सीहोर/रायसेन.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,27,000/- (रूपये दो लाख सत्ताईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6103/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	श्रीमती अनीता देवी साहू पत्नि श्री कैलाश साहू नि. गांधी नगर कॉलोनी, पुराने आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6104/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	श्री देवेन्द्र यादव पुत्र श्री पेजन सिंह यादव नि. ग्राम बदनपुर, तहसील व जिला विदिशा (पत्नि के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6105/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	श्री निर्भय सिंह आ. श्री सरदार सिंह आदिवासी नि. ग्राम दयानंदपुर, तह. व जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
4	एचसीएम. 6106/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	श्री हल्केराम यादव पुत्र श्री कल्याण सिंह यादव नि. ग्राम वमुरिया, तह. नटेरन जिला विदिशा (पत्नि के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6107/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	श्री शोभित सोनी आ. श्री दिलबहादुर नि. झुग्गी क्र. 194, ओमनगर झुग्गी बस्ती क्रमांक 2, बिड़लामंदिर के पास, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

6	एचसीएम. 6108/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	संचालक, लाईफ लाईन हॉस्पिटल, शाहपुरा, भोपाल श्रीमती काबरा बाई पत्नि श्री लखसिंह नि. ग्राम ससली, पो. गोपालपुर, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6109/08 दिनांक 11.08.08 आर. 931	संचालक, लाईफ लाईन हॉस्पिटल, शाहपुरा, भोपाल श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि श्री सीताराम नि. सीगांव, तह. नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6127/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	श्रीमती शीलाबाई पत्नि स्व.श्री जैनपाल जैन(कक्कू) निवासी लाडकुई, तह. नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6128/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	श्री नर्मदाप्रसाद चौहान आ. श्री अमरसिंह चौहान, नि.ग्राम जैत, तह.बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6129/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	श्रीमती मालतीबाई पत्नि श्री राजकुमार कहार, नि. वार्ड क्रमांक 5, रेहटी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6130/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो अस्पताल इंदौर कु. सलोनी पुत्री श्री चेतनसिंह ठाकुर, नि. ग्राम रामनगर ब्लॉक इछावर जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6131/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	संचालक, हमीदिया अस्पताल भोपाल श्री प्रीतमसिंह आ. श्री इमरतलाल, नि. ग्राम डण्डेरा, पो. सांचेत जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 35,000/- (पैंतीस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 6132/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा.लि. अरेरा कालोनी भोपाल मा. ऋषभ आ. श्री रमेश साहू निवासी ग्राम बांया, तह.बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

14	एचसीएम. 6133/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	संचालक, अजवानी आई हॉस्पिटल बैरसिया रोड़, भोपाल श्रीमती चन्द्रा तिवारी निवासी तहसील कार्यालय मेनरोड़ जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6134/08 दिनांक 11.08.08 आर. 932	संचालक, सिटी हॉस्पिटल, 115 जोन-2, एम.पी.नगर भोपाल मा. सलमान खान आ. श्री शराफत खान, नि. ग्राम डोबी, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 12,000/- (बारह हजार मात्र)
योग:-			रूपये 2,27,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,27,000/- (रूपये दो लाख सत्ताईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 424/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला— विदिशा/भोपाल/सीहोर/रायसेन (मध्य प्रदेश)
कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर
संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-409/2008/एक (1)
14/08/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
जिला-भोपाल,
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-5,00,000/- (रुपये-पाँच लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6288/08 दिनांक 13.08.08 आर-933	श्री अभिनव बिन्द्रा, निवासी एस0सी0ओ0, / 62.63, सेक्टर,34-ए चण्डीगढ़ (चीन में आयोजित बीजिंग ओलम्पिक वर्ष 2008 में निशाने बाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के कारण प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये-5,00,000 / - (पाँच लाख) (नियम शिथिल करते हुए)
		योग:-	रुपये-5,00,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 5,00,000 / - (रुपये पाँच लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में स्वीकृत राशि रूपये-5,00,000/- का चैक कलेक्टर भोपाल द्वारा तैयार कर संबंधित अनुदानग्रहिता के पते पर भेजते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय एवं इस विभाग को भी तत्काल अवगत कराया जाय।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-409/2008/एक (1)

14/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन
विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-414/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- विदिशा/रायसेन/रीवा/टीकमगढ़/भोपाल/हरदा.
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 9,40,000/- (रूपये नौ लाख चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6141/08 दिनांक 12.08.08 आर. 935	संचालक, बाम्बे अस्पताल, इन्दौर श्री चन्द्रमोहन सोनी, निवासी सिरोंज जिला विदिशा (पत्नि श्रीमती अंजु सोनी के क्रोनिकल आईटीपी के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख)
2	एचसीएम. 6142/08 दिनांक 12.08.08 आर. 937	संचालक,भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,करोंद चौराहा, भोपाल श्री गोपालसिंह वर्मा, रिटायर्ड शिक्षक उदयपुरा, जिला- रायसेन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख)
3	एचसीएम. 6146/08 दिनांक 12.08.08 आर. 938	श्री प्रमोद पुरी नागाजी ग्राम बकतरा, तह. बुधनी, जिला- सीहोर (बकतरा स्थित धर्मशाला के सामने चबूतरेएवं फर्श के निर्माण हेतु)	रूपये 2,00,000/- (दो लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)

4	एचसीएम. 6147 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 939	श्रीमती आशा मिश्र, निवासी चिरहुला कालोनी जिला रीवा (श्री दीपक मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ की गोली मारकर हत्या होने से सहायता)	रूपये 2,00,000 / - (दो लाख)
5	एचसीएम. 6152 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 940	श्रीमती कमलेश देवी बेवा श्री सुरेन्द्रसिंह बघेल, निवासी बटवाह तह. जतारा जिला- टीकमगढ़ (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)
6	एचसीएम. 6155 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 941	संचालक, कृष्णा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस लि. मिनिस्टर रोड़, सिकन्दराबाद आंध्रप्रदेश, श्रीमती अर्चना सिरवैया पत्नि स्व. श्री दिनेश सिरवैया, ललितपुर रोड़, पुरानी टेहरी, जिला- टीकमगढ़ (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,50,000 / - (एक लाख पचास हजार)
7	एचसीएम. 6157 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 942	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, करोंद चौराहा, भोपाल श्री रामकिशोर यादव 21 / 20 नार्थ टी.टी. नगर के पास में झुग्गी, जिला- भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
8	एचसीएम. 6160 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 943	डीन, गांधी मेडीकल कालेज एवं हमीदिया अस्पताल, भोपाल श्रीमती शकीला बी पत्नी श्री सलीम शह निवासी म.नं. 25, फकीरपुरा छावनी जिला- भोपाल (पेसेमेकर लगाने हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
9	एचसीएम. 6162 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 944	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रायसेन बायपास रोड़, भोपाल श्री मयंक येवलेकर, आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जिला- हरदा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 / - (तीस हजार)
योग:-			रूपये 9,40,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 9,40,000 / - (रूपये नौ लाख चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-414/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा/रायसेन/रीवा/टीकमगढ़/भोपाल/हरदा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
- राशि
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टार्क फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-416/2008/एक (1)
/08/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
जिला-खरगौन/श्योपुर/होशंगाबाद,
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-5,55,000/- (रुपये-पाँच लाख पचपन हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-5662/08 दिनांक 01.08.08 आर-933	संचालक, सी0एच0एल0 अपोलो हास्पिटल, इन्दौर श्रीमती कुसुमबाई पत्नी श्री संतोष पाटीदार, निवासी उबदी जिला-खरगौन (स्वयं के हृदय रोग के इलाज हेतु)	रुपये-55,000/- (पचपन हजार) (नियमों को शिथिल करते हुए)
2	एचसीएम-5810/08 दिनांक 06.08.08 आर-934 मुख्यमंत्री घोषणा क्र-1811 दिनांक 10.03.2007	अध्यक्ष, मीना समाज, जिला-श्योपुर (समाज के छात्रावास के विकास हेतु)	रुपये-3,00,000/- (तीन लाख)
3	एचसीएम-733/07 दिनांक 02.04.07 आर-001 एचसीएम-5817/08 दिनांक 06.08.08 आर-936	सरस्वती शिशु मंदिर, सुहागपुर, जिला-होशंगाबाद, (सरस्वती शिशु मंदिर, सुहागपुर, जिला-होशंगाबाद, हेतु) मुख्यमंत्री घोषणा क्र- 0136 दिनांक 21.01.2005 योग- 2/640	रुपये-2,00,000/- (दो लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए) रुपये-5,55,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 5,55,000/- (रुपये पाँच लाख पचपन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा

इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-416/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला-खरगोन/शयोपुर/होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)**
कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन
विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

-:आदेश:-

कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 3,74,919/- (रूपये तीन लाख चहोत्तर हजार नौ सौ उन्नीस) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5954/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी श्री शंकर प्रसाद गुप्ता म.नं. 18, आनन्द नगर रायसेन रोड जिला भोपाल (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,263/- (दो हजार दो सौ तिरेसठ)
2	एचसीएम. 5957/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती मुन्नी बी पत्नी श्री ईशाक खान 79, वार्ड नं. 40 गली नं. 1, बोगदा पुल मुखर्जी नगर जिला भोपाल (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 7,432/- (सात हजार चार सौ बत्तीस)
3	एचसीएम. 5960/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री हरिराम चौहान म. नं. 23, भोईपुरा कुम्हारपुरा पीरगेट जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)

4	एचसीएम. 5962/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री विवेक देशमुख पुत्र श्री मनोहर देशमुख 410, रचना नगर चेतक ब्रिज के पास जिला भोपाल (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 23,393/- (तेईस हजार तीन सौ तिरानबे)
5	एचसीएम. 5965/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्रीमती मनोरमा जोशी पत्नी श्री शिवप्रसाद जोशी महामाई का बाग म. नं. 130 स्टेशन रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
6	एचसीएम. 5966/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्रीमती सुशीला सूर्यवंशी पत्नी श्री श्याम सिंह सूर्यवंशी 26/1, नार्थ टी. टी. नगर दशहरा मैदान जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,871/- (पन्द्रह हजार आठ सौ इकहत्तर)
7	एचसीएम. 5969/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री अजय सिंह आ. स्व. श्री भूरे लाल टीलाजमालपुरा हनुमान मंदिर के पास जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 23,960/- (तेईस हजार नौ सौ साठ)
8	एचसीएम. 5972/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी श्री राजबहादुर यावद राजीव नगर झुग्गी नं. 2185 चिकलोद रोड जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 5975/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. विधायक श्रीमती शशि प्रभा रामपाल सिंह	श्री प्रहलाद भालेराव आ. श्री सीताराम भालेराव स्नेह इलैक्ट्रिकल राम मंदिर आनन्द नगर जिला भोपाल (पत्नी के रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम. 5978/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री महेश कौशल पुत्र श्री मोहन कौशल 12 नं. स्टाप कृष्णा नगर सुलभ काम्पलेक्स के पास जिला भोपाल (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
11	एचसीएम. 5981/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री प्रकाश सेन पिता श्री राकेश सेन खजूरीकला बी.एच.ई.एल. पिपलानी जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

12	एचसीएम. 5985/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री हाफीज मोहम्मद शमशाद इमाम मस्जिद बिस्मिल्लाह कालोनी गली नं. 7 जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
13	एचसीएम. 5940/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री शिवप्रसाद मीना ग्राम बैरागढ़ श्री श्याम सिंह के मकान में तह. हुजूर थाना कोलार, कोलार रोड जिला भोपाल (गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
14	एचसीएम. 5941/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. राज्य मंत्री श्रीमती रंजना बघेल	श्री कैलाश प्रजापति म.नं. 19 श्रद्धा नगर, सरोज मेमोरियल स्कूल के पास बैरागढ़ कला बैरागढ़- जिला भोपाल (पुत्र सूर्यकान्त के आंख के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
15	एचसीएम. 5942/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा.मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री तेजराम शर्मा आ.श्री गोविन्दराम शर्मा आई 122/23 के पास झुग्गी नं. 143 शिवाजी नगर जिला भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
16	एचसीएम. 5943/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. मंत्री श्री अनूप मिश्रा	श्री सैफुद्दीन शेड नं.-348 नगर निगम कालोनी नारियल खेड़ा जिला भोपाल (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
17	एचसीएम. 5944/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	मृतक श्री सलमान कांग्रेस नगर जिला भोपाल (सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से परिवार को सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार) कलेक्टर भोपाल को प्रतिपूर्ति हेतु
18	एचसीएम. 5945/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री रामलाल मेवाड़ा आ.श्री पन्ना लाल मेवाड़ा म.नं.-सी-22 न्यू जनता कालोनी गैस राहत गौतम नगर जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
19	एचसीएम. 5946/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्रीमती किरण भालेराव पत्नी श्री प्रहलाद भालेराव म.नं.-23 संतोषी विहार नरेला शंकरा जिला भोपाल (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
20	एचसीएम. 5947/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा.मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य	श्रीमती निवेदिता सिंह पत्नी श्री पवन कुमार सिंह म.नं.-73 बी-सेक्टर अवधपुरी खजूरीकला जिला भोपाल (पति के ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

21	एचसीएम. 5948/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक सुरभि हास्पिटल जहांगीराबद भोपाल श्री रियाज मोहम्मद मकान नम्बर 64 शबन चौराहा जहांगीराबाद जिला भोपाल (पौरुष ग्रन्थि के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
22	एचसीएम. 5949/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. विधायक कुं. विजय बहादुर सिंह बुंदेला	श्री जगदीश सिंह आई 106/40 पांच नं. शिवाजी नगर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
23	एचसीएम. 5951/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	संचालक सुरभि हास्पिटल जहांगीराबद भोपाल श्रीमती सालेहा म.नं. 35, जेल रोड जहांगीराबाद जिला भोपाल (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
24	एचसीएम. 5953/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री पृथ्वीराज सिंह पुत्र श्री रामसिंह चौहान झुग्गी नं. 76, इंदिरा नगर 12 नं. स्टाप जिला भोपाल (पैरों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
25	एचसीएम. 5956/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्रीमती रजनी सिंह पत्नी श्री विदुर सिंह झुग्गी नं. 203, इंदिरा नगर 12 नं. स्टाप जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
26	एचसीएम. 5959/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री मांगीलाल म. नं. 88 राजेन्द्र नगर कालोनी जिला भोपाल (बच्चेदानी एवं हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
27	एचसीएम. 5963/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री मंशाराम झुग्गी नं. 133/5, न्यू भीमनगर झरनेश्वर मंदिर के पीछे वाली टंकी के पास जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती मीना बाई के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
28	एचसीएम. 5967/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री मनमोहन मालवीय मिलेट्री गेट शाहजहांबाद अहीर मोहल्ला म. नं. 38 काशीराम यादव का मकान जिला भोपाल (पुत्र के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

29	एचसीएम. 5950/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	1. श्रीमती सीमा पत्नी स्व. श्री दिलीप बागोरा पी. सी. नगर 12 नं. स्टाप अरेरा कालोनी जिला भोपाल (सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाने से पत्नी श्रीमती सीमा को सहायता)	रूपये 50,000/- (पचास हजार) कलेक्टर भोपाल को प्रतिपूर्ति हेतु
	एचसीएम. 5952/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	2. घायल श्री संजय आ. श्री शिवराज दुर्गा नगर खण्ड नं. 3 हबीबगंज नाका जिला भोपाल (सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने से सहायता)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) कलेक्टर भोपाल को प्रतिपूर्ति हेतु
30	एचसीएम. 5955/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री शिवनारायण आ.श्री कमलेश कुमार माता की मढ़िया के पास कुम्हारपुरा जहांगीराबाद जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
31	एचसीएम. 5958/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्री विष्णु प्रसाद रोशनपुरा नाका, झुग्गी नं. 1073 वार्ड नं. 34 जिला भोपाल (पुत्री रितु के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
32	एचसीएम. 5961/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945	श्रीमती कनीजा बी पत्नी श्री ताज अहमद बलाईपुरा वार्ड नं. 7 इमामीगेट जिला भोपाल (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
33	एचसीएम. 5964/08 दिनांक 07.08.08 आर. 945 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री तरुण कुमार वडीचार झुग्गी नं. 828 भीमनगर वार्ड नं. 35 जिला भोपाल (माताजी श्रीमती कौशल्या बाई के पथरी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
योग:-			रूपये 3,74,919/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये— 3,74,919/- (रूपये तीन लाख चहोत्तर हजार नौ सौ उन्नीस) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-ग्वालियर,
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5968/08 दिनांक 07.08.08 आर. 946	संचालक, बाम्बे हास्पिटल इन्दौर श्री एस. सी. कोरकू कार्यालय अधीक्षक जिला कार्यालय ग्वालियर, जिला ग्वालियर (पुत्र धर्म सिंह के रेल से पैर कट जाने से उपचार हेतु)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख)
2	एचसीएम. 5971/08 दिनांक 07.08.08 आर. 946	श्री श्याम शर्मा निवासी शिव भवन छप्पर वाला पुल जिला ग्वालियर (कपिल शर्मा की मृत्यु हो जाने से परिवार को सहायता)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख)
		योग:-	रूपये 2,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु

दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- ग्वालियर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- रायसेन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 49,160/- (रूपये उनपचास हजार एक सौ साठ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5974/08 दिनांक 07.08.08 आर. 947	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री कोमल सिंह पिता श्री जमुना प्रसाद यादव सिलवानी जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 13,844/- (तेरह हजार आठ सौ चवालीस)
2	एचसीएम. 5977/08 दिनांक 07.08.08 आर. 947	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती नर्बदी देवी ठाकुर पति श्री नत्थू सिंह ठाकुर बाड़ी जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 20,316/- (बीस हजार तीन सौ सोलह)
3	एचसीएम. 5980/08 दिनांक 07.08.08 आर. 947	श्रीमती निर्मिला गुप्ता पुत्री स्व. श्री श्रीलाल टडैया द्वारा श्री राजेश कुमार टडैया प्रभात भवन बजरिया चौक देवरी जिला रायसेन (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 49,160 /— (रूपये उनपचास हजार एक सौ साठ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,41,173/- (रूपये दो लाख इकतालीस हजार एक सौ तिहत्तर) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5983/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री हरिशंकर चौहान ग्राम गादर आमोन तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्र देवांश के उपचार)	रूपये 14,492/- (चौदह हजार चार सौ बानबे)
2	एचसीएम. 5986/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती सेवती बाई पत्नी श्री कमल सिंह ग्राम वासनिया कला तह. बुधनी जिला सीहोर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 55,017/- (पचपन हजार सत्रह)
3	एचसीएम. 5970/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री नारायण शर्मा आ. श्री कालूराम शर्मा ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)

4	एचसीएम. 5973/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री राजविन्द्र चौहान ग्राम ईशपुर तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्री रजनी चौहान के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 5976/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री राम अवतार पुत्र स्व. श्री राम सिंह जमुनिया तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,831/- (बीस हजार आठ सौ इकत्तीस)
6	एचसीएम. 5979/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती जमुना देवी पति श्री गंगाप्रसाद श्यामपुर जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 45,833/- (पैंतालीस हजार आठ सौ तैंतीस)
7	एचसीएम. 5982/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	श्री बैनी सिंह आ. श्री गोकुल प्रसाद ग्राम बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) नियमों को शिथिल कर
8	एचसीएम. 5984/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री हरिनारायण पिता श्री कन्हैयालाल ग्राम जौनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
9	एचसीएम. 5987/08 दिनांक 07.08.08 आर. 948 मा. विधायक श्री रमेश सक्सेना	श्रीमती ऊषा राठौर पत्नी श्री रवि राठौर कस्बा जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 2,41,173/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,41,173/- (रूपये दो लाख इकतालीस हजार एक सौ तिहत्तर) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। **सर्वर में फीड करावे।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-विदिशा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 59,057/- (रूपये उनसाठ हजार सतावन) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5990/08 दिनांक 07.08.08 आर. 949	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती कैशर बाई पत्नी श्री गुलाब सिंह मालवीय ग्राम श्मशाबाद तह. नटेरन जिला विदिशा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 46,444/- (छियालीस हजार चार सौ चवालीस)
2	एचसीएम. 5993/08 दिनांक 07.08.08 आर. 949	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री मंगल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह ग्राम घटवई तह. नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 12,613/- (बारह हजार छः सौ तेरह)
योग:-			रूपये 59,057/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 59,057/- (रूपये उनसाठ हजार सतावन) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा

इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय**

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-इन्दौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 75,000/- (रूपये पचहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5996/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950	श्री रमेश सिंह पिता श्री बाबूलाल योगीराज 118, विष्णुपुरी जिला इन्दौर (पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6000/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950	श्री सुनील जोशी पिता श्रीजीवनलाल जोशी 501, बजरंग नगर सरकारी स्कूल के पीछे जिला इन्दौर (पुत्र लक्ष्य जोशी के हाईपोसिक इन्ज्युरी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6004/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950 मा.मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री दीप सिंह पिता श्री अभिलाल सिंह 161, एस. सी.-4, स्कीम नं. 78 विजय नगर जिला इन्दौर (पत्नी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6007/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950	श्री राजेन्द्र पिता श्री गोपाल 826, निरंजपुर जिला इन्दौर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

5	एचसीएम. 6011/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950	श्री मोहम्मद रसीद पिता श्री मोहम्मद रफीक 86/2, मोती तबेला जिला इन्दौर (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 6013/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950	श्री नानूराम पिता श्री दयाराम म. नं. 9/1, जनता क्वाटर जिला इन्दौर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 6017/08 दिनांक 07.08.08 आर. 950	श्री हीरालाल पिता श्री गुलाब 384, शांति नगर मूसाखेड़ी जिला इन्दौर (पत्नी के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 75,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 75,000/- (रूपये पचहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)
18/08/2008 प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला— इन्दौर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-शाजापुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 35,000/- (रूपये पैतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6020/08 दिनांक 07.08.08 आर. 951	श्री चतुर्भुज पुत्र श्री कन्हैयालाल रूस्तमपुर तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (भाई के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6027/08 दिनांक 07.08.08 आर. 951	श्री दिनेश सिंह सुनार, मगरानिया तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 6028/08 दिनांक 07.08.08 आर. 951	श्री ओमनाथ सिंह राजपूत कांकरखेड़ा तह. कालापीपल जिला शाजापुर (पुत्रवधु के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 35,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 35,000/- (रूपये पैतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि

का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला-शाजापुर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:--

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-देवास
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6072/08 दिनांक 07.08.08 आर. 952 मा. संसद सदस्य श्री नंदकुमार सिंह चौहान	श्री योगेश पिता श्री सुखराम ग्राम पान्दा तह. खातेगांव जिला देवास (पुत्र मास्टर अमित के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित

रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-देवास (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- होशंगाबाद
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 18,000/- (रूपये अठारह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6029/08 दिनांक 07.08.08 आर. 953 मा. उपाध्यक्ष म. प्र. विधान सभा	श्री आनन्द कटारे पिता श्री सुरेश कटारे मालापाट तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
	एचसीएम. 6031/08 दिनांक 07.08.08 आर. 953	श्री विनोद गणेशराम निवासी रेल्वे स्टेशन के पीछे पंचम सेठ के मकान में जिला होशंगाबाद (पुत्र के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6032/08 दिनांक 07.08.08 आर. 953 मा. उपाध्यक्ष म.प्र.विधान सभा	श्रीमती सुगनीबाई पत्नी श्री हीरासिंह ठाकुर निवासी ग्राम गोची तरोंदा तह. इटारसी जिला होशंगाबाद (नाती कपिल सिंह के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 18,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 18,000/- (रूपये अठारह हजार) मात्रकी राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही

राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रीवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 38,000/- (रूपये अड़तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6033/08 दिनांक 07.08.08 आर. 954	श्री दाऊलाल बसोर तनय श्री रामगरीब बसोर ग्राम व पोस्ट बैकुंठपुर तह. सिरमौर जिला रीवा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6034/08 दिनांक 07.08.08 आर. 954 मा. विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल	श्रीमती रानू पाण्डे पति श्री संतोष कुमार ग्राम भिटवा तह. हुजूर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6035/08 दिनांक 07.08.08 आर. 954 मा. मंत्री श्री रमाकांत तिवारी	श्री राम लाल प्रजापति ग्राम इटोरी वि.ख. जवा जिला रीवा (पुत्री कु. ललिता देवी के करेंट लग जाने से उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

4	एचसीएम. 6037 / 08 दिनांक 07.08.08 आर. 954 मा. विधायक श्री नागेन्द्र सिंह	श्रीमती श्यामबाई पति श्री मोतीलाल ग्राम बुढिया जिला रीवा (ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 / - (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 38,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 38,000 / - (रूपये अड़तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय**

--:आदेश:--

कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

कलेक्टर,
जिला-धार
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5988/08 दिनांक 07.08.08 आर. 955	श्रीमती सावित्री बाई पत्नी स्व. श्री मदनलाल अहीर निवासी मनावर जिला धार (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन

प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- धार (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-डिण्डोरी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5991/08 दिनांक 07.08.08 आर. 956 मा. विधायक श्री शिवराज शाह	श्री देवानन्द साहू आ.श्री बेनीप्रसाद ग्राम सरई जिला डिण्डोरी (किडनी, हृदय एवं लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- डिण्डोरी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सागर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5994/08 दिनांक 07.08.08 आर. 957 मा.विधायक श्रीमती सुशीला राकेश सीरोठिया	श्री राजकुमार अहिरवार भीम वार्ड बीना जिला सागर (पुत्र के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 5995/08 दिनांक 07.08.08 आर. 957	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर सेंटर भोपाल श्री प्रियांशु पिता श्री शिवनारायण दीक्षित ग्राम मेनसी तह.खुरई जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)
3	एचसीएम. 5998/08 दिनांक 07.08.08 आर. 957	श्री गुलाब पिता श्री पुन्ना अहिरवार शास्त्री वार्ड खुरई जिला सागर (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही

राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कर्मांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. कर्मांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नरसिंहपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6001/08 दिनांक 07.08.08 आर. 958	श्रीमती विनीता साहू पति श्री विनोद कुमार साहू आंखीवाड़ा पो. सिमरी बड़ी तह. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर (पति के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6003/08 दिनांक 07.08.08 आर. 958	श्री विष्णु दत्त आ. श्री काशीराम तिगनाथ पिपरिया बरोदिया तह. करेली जिला नरसिंहपुर (पुत्र देवीप्रसाद के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6006/08 दिनांक 07.08.08 आर. 958	श्री राजेन्द्र सिंह आ. श्री हरप्रसाद लोधी कापखेड़ा तह. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर (पेट एवं टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)

18 / 08 / 2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-नीमच
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 22,000/- (रूपये बाईस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6009/08 दिनांक 07.08.08 आर. 959 मा.मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री अयूबखां वार्ड क्रमांक-2 बादीपुरा रामपुरा जिला -नीमच (पुत्र के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6012/08 दिनांक 07.08.08 आर. 959 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री गोरीलाल बंजारा पिता श्रीमांगीलाल बंजारा मालाहेड़ा तह.मनासा जिला नीमच (विकलांगता के कारण)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 6014/08 दिनांक 07.08.08 आर. 959 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री रामचन्द्र पिता श्री हेमराज मेधवाल नया मालाहेड़ा तह.मनासा जिला नीमच (गेंगरीन के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
योग:-			रूपये 22,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 22,000/- (रूपये बाईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)

18 / 08 / 2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-नीमच (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- मंदसौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये 14,000/- (रुपये चौदह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6015/08 दिनांक 07.08.08 आर. 960	श्री कालू सिंह ग्राम बैलारा जिला मंदसौर (पुत्रवधु के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6018/08 दिनांक 07.08.08 आर. 960	श्री घनश्याम पाटीदार पिता श्री कंवर लालजी पाटीदार सिंदपन जिला मंदसौर (पैर के फ्रेक्चर के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
		योग:-	रुपये 14,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 14,000/- (रुपये चौदह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंदसौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- शिवपुरी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेईस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6050/08 दिनांक 07.08.08 आर. 961	श्री विजय कुमार शर्मा धोलागढ़ जिला शिवपुरी (आंत के आपरेशन हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 6051/08 दिनांक 07.08.08 आर. 961	श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव पुत्र श्री हीरालाल भार्गव निवासी महल कालोनी जिला-शिवपुरी (पत्नी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 23,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित

रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शिवपुरी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
जिला-शयोपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6052/08 दिनांक 07.08.08 आर. 962	1. श्रीमती कांतीबाई शर्मा ब्राम्हण पाडा वार्ड-21 जिला शयोपुर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6053/08 दिनांक 07.08.08 आर. 962	2. श्रीमती दुलारीकपालखेडी मुक्तिनाथ नगर जिला शयोपुर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6054/08 दिनांक 07.08.08 आर. 962	3. श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री मोहनलाल गांधीनगर वार्ड-11 जिला शयोपुर	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6055/08 दिनांक 07.08.08 आर. 962	4. श्रीमती भोप्पाबाई पत्नी श्री किशनलाल जिला शयोपुर (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6056/08 दिनांक 07.08.08 आर. 962	5. श्रीमती कश्मीर कौर पति श्री सरदार जीत सिंह गुरुद्वारे के पास वार्ड क-8 जिला शयोपुर (पेट के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रुपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्रकी राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)

18 / 08 / 2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-श्यापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- राजगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 31,080/- (रूपये इकतीस हजार अस्सी) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6057/08 दिनांक 07.08.08 आर. 963	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री गोविन्द राम पुत्र श्री लक्ष्मण कोली ग्राम पडोलिया जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 1,080/- (एक हजार अस्सी)
2	एचसीएम. 6058/08 दिनांक 07.08.08 आर. 961	श्रीमती निशा (ऊषा) भार्गव पत्नी श्री सुनील भार्गव तहसील के पास जूना ब्यावरा जिला राजगढ़ (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6059/08 दिनांक 07.08.08 आर. 961	श्री देवसिंह पिता श्री जगन्नाथ ग्राम भोजपुरिया पो. बैरसिया तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (पुत्र रामकरण के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6060/08 दिनांक 07.08.08 आर. 961	श्री भंवरलाल पिता श्री कालूराम पचौर जिला राजगढ़ (पत्नी की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

5	एचसीएम. 6061/08 दिनांक 07.08.08 आर. 961 मा. विधायक श्री बद्रीलाल यादव	श्रीमती राजल बाई पति श्री अशोक ग्राम मातामंड वि.ख. ब्यावरा जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 31,080/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 31,080/- (रूपये इकतीस हजार अस्सी) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)
18 / 08 / 2008

भोपाल,

दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-::आदेश::-**

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-पन्ना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6062/08 दिनांक 07.08.08 आर. 964 मा. मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले	श्री तिलकराज शर्मा धाम मोहल्ला जिला पन्ना (ब्रेन के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
	एचसीएम. 6063/08 दिनांक 07.08.08 आर. 964 मा. मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले	श्री माधव प्रसाद सोनकर पिता श्री भूपत प्रसाद सोनकर जिला पन्ना (ब्रेन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु

दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक

18 / 08 / 2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- पन्ना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-जबलपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6064/08 दिनांक 07.08.08 आर. 965 मा. विधायक श्री दिलीप दुबे	श्री इंद्र कुमार पटेल पुत्र श्री जमुना प्रसाद पटेल ग्राम देवरी नवीन तह. सीहोरा जिला जबलपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6065/08 दिनांक 07.08.08 आर. 965 मा. राज्यमंत्री श्री हरेन्द्रजीत सिंह	श्री मनोज पाण्डे पिता स्व. श्री गुप्तेश्वर पाण्डे जी. आर. सी. मेस के सामने म. नं. 1311 नर्मदा रोड जिला जबलपुर (हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 5989/08 दिनांक 07.08.08 आर. 965	श्री बलराम सोनकर पिता श्री राजाराम सोनकर दुर्गा चौक खैरमाई जिला जबलपुर (फेफड़े के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 45,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि राशि रूपये 45,000/- (रूपये पैतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा

इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बैतूल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 5992/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री प्रेमनारायण राठौर वल्द स्व. श्री गोपाल राठौर विनोबा वार्ड जिला बैतूल (पत्नी श्रीमती चन्दा राठौर के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 5997/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री सुनील वल्द श्री मानिकराव नागले विवेकानंद वार्ड पार्क के सामने सीमेंट गोदाम के पास भग्गूढाना जिला बैतूल (पिताजी के प्रोस्टेट की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 5999/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री सतीश वल्द स्व. श्री भैयालाल राठौर सड़कपुरा चिचोली जिला बैतूल (पुत्र सारांश राठौर के ब्रेन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

4	एचसीएम. 6002/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री रतन इवने मुकाम कोसमी पोस्ट टेमनी जिला बैतूल (पुत्र चेताराम इवने के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6005/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री अशोक कुमार वल्द श्री नाथूराम सूर शहीद कालोनी राजेन्द्र वार्ड बैतूलगंज जिला बैतूल (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 6008/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्रीमती करुण चौकीकर पत्नी श्री टुकडूदास चौकीकर रामनगर जिला बैतूल (पति के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 6010/08 दिनांक 07.08.08 आर. 966	श्री मस्तराम यादव निवासी ग्राम चांद बेहड़ा जिला बैतूल (पुत्री कु.संध्या के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 70,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)
18 / 08 / 2008

भोपाल,

दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-दमोह
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6016/08 दिनांक 07.08.08 आर. 967	श्री रतनलाल अहिरवार पिता स्व.श्री मनसुखा निवासी ग्राम भिडारी पो.रसीलपुर तह.हटा जिला दमोह (हाथ पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- दमोह (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रतलाम
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6019/08 दिनांक 07.08.08 आर. 968	श्री मुस्तम वाला निवासी 737 राजस्व नगर महु-नीमच रोड़ जिला रतलाम (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रुपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये- 1,72,059/- (रुपये एक लाख बहत्तर हजार उनसठ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन द्वांजित की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन

प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1) भोपाल, दिनांक /07/2008
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रतलाम (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

—:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- उज्जैन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,23,000/- (रूपये एक लाख तैईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6021/08 दिनांक 07.08.08 आर. 969 मा.विधायक श्री तारचन्द गोयल	संचालक, बाम्बे हास्पिटल इन्दौर श्री भंवर सिंह पिता श्री भगवान सिंह ग्राम तिलावद तह. तराना जिला उज्जैन (पुत्र कमल सिंह के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख)
2	एचसीएम. 6022/08 दिनांक 07.08.08 आर. 969 मा.विधायक श्री तारचन्द गोयल	श्रीमती राजू बाई पति श्री सोमेश्वरजी मेहता ग्राम पलवा तह. महिदपुर जिला उज्जैन (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
3	एचसीएम. 6023/08 दिनांक 07.08.08 आर. 969	श्रीमती सीमा सक्रोदिया पत्नी स्व.श्री जितेन्द्र सक्रोदिया अंकपात रोड़ कमल कालोनी जिला उज्जैन (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
योग:-			रूपये 1,23,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,23,000/- (रूपये एक लाख तैईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा

इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- सिवनी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6024/08 दिनांक 07.08.08 आर. 970	श्री शंकरलाल इवने ग्राम पट्टी खामही रैयत पो.खूट खमरिया तह.लखनादौन जिला सिवनी (माताजी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सिवनी (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावे।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-बालाघाट
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 58,000/- (रूपये अठावन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6025/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971	श्री सुकराम आ. श्री गोण्डू ग्राम नंदोरा तह. कटंगी जिला बालाघाट (अल्सर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6026/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971	श्री एच0 एल0 शिवहरे ग्राम गुनई पो. घोटी तह. खैरलांजी जिला बालाघाट (पत्नी के आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6030/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री ए. के. पाण्डे पत्रकार वार्ड नं. 7 तह. कटंगी जिला बालाघाट (पुत्र की आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6036/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971	श्री बाबा नरेश बंसोड़ पिता श्री गोवर्धन बंसोड़ ग्राम कोपे तह. लालबर्गा जिला बालाघाट (पुत्र के रक्त की कमी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

5	एचसीएम. 6038/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971 मा. संसद सदस्य श्री गौरी शंकर बिसेन	श्री अमित सिंह बैस पिता श्री अजय सिंह बैस जयहिंद टाकीज के सामने जिला बालाघाट (पिताजी के हृदय एवं किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
6	एचसीएम. 6039/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971 मा. विधायक श्री प्रदीप जायसवाल	श्री संजीव पटेल पुत्र श्री प्रभूदास ग्राम वारा जिला बालाघाट (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
7	एचसीएम. 6040/08 दिनांक 07.08.08 आर. 971	श्रीमती बेबी बाई पति श्री बुधराम ग्राम भुआ पो. आ. बोरगांव तह. किरनापुर जिला बालाघाट (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 58,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 58,000/- (रूपये अठावन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- बालाघाट (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सतना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6041/08 दिनांक 07.08.08 आर. 972 मा. मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह	श्रीमती सिया दुलारी पत्नी श्री जगत प्रसाद उरमलिया ग्राम जाखी तह.उचेहरा जिला सतना (गाल ब्लेडर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सतना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-सिंगरौली
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6042/08 दिनांक 07.08.08 आर. 973	श्री रामनाथ साहू ग्राम सोनगढ़ जिला सिंगरौली (प्लास्टिक सर्जरी हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन

प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422/2008/एक (1) भोपाल, दिनांक 18/08/2008
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सिंगरौली (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-:आदेश:-

कमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
जिला-छिंदवाड़ा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये 44,000/- (रुपये चवालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6043/08 दिनांक 07.08.08 आर. 974 मा. विधायक श्री मारोतराव खवसे	श्री बसंता पिता श्री बाजीराव ठाकरे तिगांव तह. पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6045/08 दिनांक 07.08.08 आर. 974 मा. केन्द्रीय मंत्री श्री कमलनाथ	श्री रत्नेश साहू पुत्र श्री दुलीचंद साहू वार्ड नं. 32, पुराना पावर हाउस जिला छिंदवाड़ा (आंखो के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
3	एचसीएम. 6046/08 दिनांक 07.08.08 आर. 974 मा. विधायक पं. रमेश दुबे	श्री मोहन गुप्ता चौरई जिला छिंदवाड़ा (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6047/08 दिनांक 07.08.08 आर. 974 मा. मंत्री श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह	श्री सुभाष घोघरे मु. पो. पिपला नारायणवार तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (पुत्र के ब्लड कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 20,000/- (बीस हजार)

		योग:-रूपये 44,000/-
--	--	---------------------

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 44,000/- (रूपये चवालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 422 / 2008 / एक (1)
18 / 08 / 2008

भोपाल,

दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित

7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-422/2008/एक (1)
18/08/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-मंडला
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6048/08 दिनांक 07.08.08 आर. 975 मा. विधायक श्री देवसिंह सैयाम	श्री विवेक कुमार कटारे पिता श्री राजेश ग्राम बोरी तह. नैनपुर जिला मण्डला (पुत्र के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6049/08 दिनांक 07.08.08 आर. 974	श्रीमती वर्षा सोनी पत्नी श्री राकेश सोनी नर्मदाजी वार्ड जिला मण्डला (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6044/08 दिनांक 07.08.08 आर. 974 मा. विधायक श्री देवसिंह सैयाम	श्री श्याम कुमार काण्ड्रा रमपुरा (देवदरा) जिला मण्डला (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,

दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 4229/2008/एक (1)

18/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंडला (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश— 672

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-421/2008/एक (1)
18/08/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,
जिला—बड़वानी/झाबुआ,
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान—वित्तीय वर्ष 2008—2009

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये—9,60,000/—(रूपये नौ लाख साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -5666/08 दिनांक -1.08.08 आर-976	श्री योगेश पिता श्री नरसिंह पालीवाल निवासी सेंधवा, जिला—बड़वानी (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/— (रूपये एक लाख)
2	एचसीएम -5666/08 दिनांक -1.08.08 आर-977	कलेक्टर, जिला—झाबुआ (दिनांक 20.07.2008 को बस दुर्घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निम्नलिखित 08 मृतकों के परिजन को रूपये—एक लाख रूपये के मान से कल 08 लाख एवं 12 गंभीर घायलों के परिजन को रूपये—पॉच—पॉच हजार के मान से कुल रूपये—60 हजार मात्र इस प्रकार कुल 8.60 लाख की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु) मृतकों की सूची— 1. श्री विक्रम, आ0 श्री दुकाल सिंह निवासी उदयगढ़ 2. श्री जवानसिंह आ0 श्री नहार	रूपये 8,60,000/— (रूपये—आठ लाख साठ हजार)

2/672

	<p>सिंह निवासी जोबट 3. श्री दिनेश आ० श्री मांगीलाल निवासी बन 4. सुश्री पूजा,आ० श्री निलेश निवासी जोबट, 5. श्री कमलेश आ० श्री कान्तीलाल देवड़ा निवासी जोबट 6. श्री दीलू आ. श्री मन्नालाल कोटवाल, निवासी जोबट 7. श्री निलेश आ० श्री कन्हैयालाल माली, निवासी उदयगढ़ 8. श्री मनोज आ० श्री सुदर्शन सिंह राठौर, उदयगढ़</p> <p>गंभीर रूप से घायलों की सूची—</p> <p>1 श्री चंदन सिंह राठौर, निवासी जोबट 2.श्री शंकर सिंह बसौढ़, निवासी जोबट 3.सुश्री भुरबाई, रामपुरा 4.श्री कलम सिंह, निवासी छोटी झिरी उदयगढ़ 5. श्री जवरसिंह देवड़ा, जांबूखेड़ा उदयगढ़ 6. श्री मेहरसिंह केरलिया, निवासी बावड़ीखुर्द, उदयगढ़ 7. श्री विजय सिंह निवासी बावड़ीखुर्द, उदयगढ़ 8. श्री मुकेश खपेड़ निवासी खुशालबडी उदयगढ़ 9.श्री नहारसिंह निवासी उबलड़ जोवट, 10.श्री भूरसिंह निवासी तलावट,उदयगढ़ 11.श्री सन्तू निवासी जोबट 12.श्री नाहर सिंह, निवासी—बलदमूंग</p>	
3		कुल राशि— रूपये 9,60,000 /

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 9,60,000 /—(रूपये नो लाख साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-2009** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-421/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला बड़वानी/झाबुआ, (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,25,000/- (रूपये दो लाख पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6136/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. संसद सदस्य श्री रामपाल सिंह	श्री राजकुमार मेहरा ई.एफ. 9/3, चार इमली सर्वेट क्वार्टर्स, जिला भोपाल (गले के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6139/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. विधायक श्रीमती शशि प्रभा रातमपाल सिंह	श्री मनोज सिंह आ.श्री राधो सिंह जी-7/76 न्यू 228 क्वार्टर्स साउथ टी.टी.नगर जिला भोपाल (भाई सुनील के ब्रेन टी.बी. के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6144/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री रंगलाल शाह आ. श्री परसन शाह मकान नम्बर 220/6 निशातपुरा जिला भोपाल (छोटे भाई श्री नंदलाल शाह के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6149/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री राजाराम कोडापे झुग्गी नं. 41 दुर्गा नगर सरिता काम्प्लेक्स जिला- भोपाल (पत्नी श्रीमती लीलाबाई कोडापे के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6151/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री अब्दुल खान आई 125/19 शिवाजी नगर जिला भोपाल (पैर में गेंगरीन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

6	एचसीएम. 6154/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री सलीम खान पिता श्री हकीम खान झुग्गी नं. 211 सी सेक्टर चांदमारी पिपलानी भेल जिला भोपाल (पिताजी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 6156/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्रीमती राजेश्वरी शर्मा पत्नी स्व.श्री रंजीत शर्मा डी.आई.जी.बंगले के पास वार्ड नं.-12 बैरसिया रोड़ जिला भोपाल (कैंसर रोग के पचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 6159/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्रीमती जयश्री नायक पति श्री सतीश एफ-1 मालवीका अपार्टमेंट, गोमती कालोनी कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
9	एचसीएम. 6163/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्रीमती सरजूबाई पत्नी स्व. श्री दशरथ कुशवाहा म.नं. 139 एच-एक्स सनफ्लावर स्कूल के पास नया बसेरा जिला भोपाल (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम. 6165/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री खिलानसिंह अहिरवार ग्राम पारदी रतुआ रतनपुर तह.बैरसिया जिला भोपाल (दोनों पैरो के विकलांगता के कारण)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम. 6166/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री जयसिंह मंडलोई मकान नम्बर- एच 92/63 तुलसी नगर जिला भोपाल (विकलांगता के कारण उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार) नियमों को शिथिल कर
12	एचसीएम. 6168/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री कुना दण्डपाट आई-106/37 के पीछे झुग्गी शिवाजी नगर जिला भोपाल (बहिन श्रीमती ममताबाई के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
13	एचसीएम. 6170/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्रीमती मिथलेश द्विवेदी पत्नी श्री श्यामा द्विवेदी द्वारा श्री आर. सी. शर्मा म. नं. 73, हनुमान मंदिर के पास पातरा पुल बरखेड़ी जिला भोपाल (बच्चेदानी के उपचार)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम. 6172/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्रीमती तुलसा बाई पति स्व. श्री नारायण सिंह साईं धाम वक्फ बोर्ड नरेला शंकरी जिला भोपाल (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 4,000/- (चार हजार)

15	एचसीएम. 6174/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री भागचंद पटेल पिता श्री अजब सिंह पटेल प्लाट नं. 60 बैंक कालोनी रोड न्यू कालोनी जिंसी जहांगीराबाद जिला भोपाल (पिताजी के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
16	एचसीएम. 6176/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया	श्री शैलेन्द्र भूमर पिता श्री बी. वी. भूमर बी-88, विनित कुंज अकबरपुर कोलार रोड जिला भोपाल (पिताजी के लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
17	एचसीएम. 6178/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री राजेश ठाकुर म. नं. 699, गैस राहत कालोनी हाउसिंग बोर्ड कालोनी बैरसिया रोड जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
18	एचसीएम. 6181/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. पूर्व संसद सदस्य श्री कैलाश ना.सारंग	श्रीमती सावित्री बाई अंकले झुग्गी नं. 185, साई बाबा नगर ई-6 अरेरा कालोनी जिला भोपाल (पुत्र मुकेश के उपचार हेतु)	5,000/- (पांच हजार)
19	एचसीएम. 6183/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री सुभाष गीद ई-1/188 अरेरा कालोनी जिला भोपाल (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
20	एचसीएम. 6184/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	कृ. पूजा रोहिरा एस-774, नेहरू नगर जिला भोपाल (माताजी श्रीमती निर्मला रोहिरा के ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
21	एचसीएम. 6186/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री निरंजन सिंह 118, ग्राम बंजारी कोलार रोड जिला भोपाल (भाई के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार) नियमों को शिथिल कर अतिरिक्त रूप से
22	एचसीएम. 6188/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्री जीवनलाल बाथम महावीर मंदिर के पास भोईपुरा बुधवारा जिला भोपाल (पुत्र अमन के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
23	एचसीएम. 6190/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री राम प्रसाद गौतम झुग्गी नं. 102, राम मंदिर बी सेक्टर पिपलानी भोल जिला भोपाल (पुत्र सुनील गौतम के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

24	एचसीएम. 6191/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978	श्रीमती मुन्नी बाई पति स्व. श्री रमेश बघेल म. नं. एच-2 नई जेल के पास करोंद जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
25	एचसीएम. 6193/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. विधायक श्री आरिफ अकील	श्रीमती आबिदा बी पत्नी श्री अकील खां 144, गली नं. 4, बाग मुंशी हुसैन खां जिला भोपाल (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
26	एचसीएम. 6195/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा पारस नगर विश्वकर्मा नगर के पास बैरसिया रोड जिला भोपाल (पुत्री कु. रूचि के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
27	एचसीएम. 6197/08 दिनांक 12.08.08 आर. 978 मा. विधायक श्री लालसिंह आर्य	श्री हरभजन रघुवंशी पिता श्री मुरलीधर रघुवंशी, ए-50, कमला नगर कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (पिताजी के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 2,25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,25,000/- (रूपये दो लाख पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 2,78,000/- (रूपये दो लाख अठत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6199/08 दिनांक 12.08.08 आर. 979 मा. मंत्री श्री अनूप मिश्रा	डा.आर.पी. शर्मा सचिव, रेड कास सोसायटी ग्वालियर डॉ. केशव पाण्डे पत्रकार, 14, लक्ष्मीबाई कालोनी जिला ग्वालियर (पत्नी श्रीमती प्रवीणा पाण्डे के "जुबेनाइल डायबटीज" की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार)
2	एचसीएम. 6201/08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्री हंसराज तलरेजा निवासी डत संतर मुरार जिला ग्वालियर (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 6203/08 दिनांक 12.08.08 आर. 979 मा.संसद सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	श्री शिवकुमार जाटव गेंडे वाली सड़क 52 पायगा जिला ग्वालियर (पुत्री के पेट के तिल्ली के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
4	एचसीएम. 6205/08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	संचालक, इंस्टीट्यूट आफ किडनी डायलिसिस एण्ड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद श्री अजय गुप्ता भैंसा चौकी खासगी बाजार जिला ग्वालियर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख) के नाम से (संशोधित आदेश) पूर्व में आदेश क्रमांक 171 दिनांक 9.6.08. द्वारा स्वीकृत

5	एचसीएम. 6206 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979 मा. विधायक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	श्री दयाराम महोबिया खिड़की मोहल्ला लोहा मण्डी जिला ग्वालियर (पत्नी श्रीमती तारादेवी महोबिया के सियाटिक पेन के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
6	एचसीएम. 6208 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्री राधाकृष्ण गुर्जर नाका चन्द्रबदनी नहरवाली माता रोड़ दुर्गेशपुरी लश्कर जिला ग्वालियर (अस्थमा,पेट दर्द, हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम. 6209 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्रीमती मोहनी देवी सतनानी पत्नी स्व. श्री भगवानदास सतनानी द्वारा हरबंसलाल सब्बरवाल का मकान फर्श वाली गली माधवगंज लश्कर जिला ग्वालियर (पैरालिसिस एवं रक्तचाप की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
8	एचसीएम. 6210 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्री रामनिवास स्वर्णकार किचलू का बाड़ा मुरार जिला ग्वालियर (पुत्री दीपाली के रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)
9	एचसीएम. 6212 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979 मा. मंत्री श्री अनूप मिश्रा	श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी पत्रकार लक्ष्मीगंज चौराहा लश्कर जिला ग्वालियर (पत्नी श्रीमती रूकमणी देवी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
10	एचसीएम. 6214 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्रीमती प्रभा भसीन कासिम खां का बाड़ा दाल बाजार लश्कर जिला ग्वालियर (पुत्र रोहित भसीन के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
11	एचसीएम. 6216 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्री अनिल शर्मा 27, अलकापुरी नए हाईकोर्ट के पास जिला ग्वालियर (पत्नी श्रीमती ममता शर्मा के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
12	एचसीएम. 6217 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979 मा. संसद सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	श्री बलवन्त सिंह बघेल नौ महला कोटेश्वर रोड़ जिला ग्वालियर (हार्निया एवं प्रोस्टेड के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
13	एचसीएम. 6220 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979 मा. विधायक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	श्रीमती राजकुमारी गोसपुरा तानसेन के मकबरे के पास हजीरा जिला ग्वालियर (स्त्रीरोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)

14	एचसीएम. 6222 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्रीमती रानी खण्डेलवाल पत्नी स्व. श्री मुकेश खण्डेलवाल मनीराम का बाड़ा सराफा बाजार जिला ग्वालियर (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
15	एचसीएम. 6224 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 979	श्री मदन मोहन माली श्री रामनारायण शिवराम कोले का बाड़ा लश्कर जिला ग्वालियर (माताजी श्रीमती कैशर बाई के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 2,78,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,78,000 / - (रूपये दो लाख अठत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-430 / 2008 / एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19 / 08 / 2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-रायसेन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
15	एचसीएम. 6226/08 दिनांक 12.08.08 आर. 980 मा. संसद सदस्य श्री रामपाल सिंह	श्री श्रीराम शर्मा पुत्र श्री जे.पी.शर्मा उदयपुरा जिला रायसेन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम. 6228/08 दिनांक 12.08.08 आर. 980	श्रीमती सुशीलाबाई पत्नी श्री बादाम सिंह ग्राम ढकना-चपना जिला रायसेन (पति के उपचार हेतु)	5,000/- (पांच हजार)
17	एचसीएम. 6229/08 दिनांक 12.08.08 आर. 980	श्री गोपीलाल गूगलवाड़ा थाना बाड़ी तह. बरेली जिला रायसेन (पेट के उपचार हेतु)	10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-430/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-सीहोर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 64,601/- (रूपये चौसठ हजार छह सौ एक) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6231/08 दिनांक 12.08.08 आर. 981	संचालक चिरायु हेल्थ एण्ड मेडिकेयर प्रा.लि.भोपाल श्री भगवानदास चौहान आ. स्व.श्री मंगल सिंह चौहान ग्राम जोनतला तह. बुदनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 18,500/- (अठारह हजार पांच सौ)
2	एचसीएम. 6232/08 दिनांक 12.08.08 आर. 981	संचालक जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल श्री रामनिवास शर्मा गांधी चौक छोटा बाजार तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पुत्र राजेश कुमार के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 27,101/- (सत्ताईस हजार एक सौ एक)
3	एचसीएम. 6234/08 दिनांक 12.08.08 आर. 981	श्री हीरालाल आ. श्री अमान ग्राम खजुरिया कलां तह. इछावर जिला सीहोर (पैर के फ्रेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6237/08 दिनांक 12.08.08 आर. 981	श्री पदमसिंह आ. श्री धनपालसिंह ग्राम बाबरी पो. डीमावर तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

5	एचसीएम.6239/08 दिनांक 12.08.08 आर. 981 मा. पूर्व विधायक श्री पी. सी. शर्मा	श्रीमती रमा पत्नी श्री शोभाराम लूनिया मोहल्ला जिला सीहोर (पुत्री सरिता के उपचार हेतु)	रूपये 4,000 /- (चार हजार)
		योग:-	रूपये 64,601 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 64,601 /- (रूपये चौसठ हजार छह सौ एक) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 42,000/- (रूपये बयालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6240/08 दिनांक 12.08.08 आर. 982 मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्री मूलचन्द कुशवाह पुत्र श्री दुलीचन्द कुशवाह वार्ड क्रमांक 36 आझाराम कालोनी जिला विदिशा (भरण पोषण हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 6243/08 दिनांक 12.08.08 आर. 982	श्री भैयालाल कोली पुत्र श्री कालूराम उर्फ कल्लम कोली ग्राम गरेटा तह. सिरौंज जिला विदिशा (भरण पोषण हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 6244/08 दिनांक 12.08.08 आर. 982 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री राधेश्याम पुत्र श्री कल्लू कोली ग्राम गरेटा तह. सिरौंज जिला विदिशा (भरण पोषण हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6247/08 दिनांक 12.08.08 आर. 982 मा. मंत्री श्री राघवजी	श्री छोटेलाल सेंगर ग्राम वाडेर तह. नटेरन जिला विदिशा (मौसी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
5	एचसीएम. 6249/08 दिनांक 12.08.08 आर. 982 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री रघुवीर सिंह आ. श्री धीरज सिंह नलखेड़ा जागीर तह. सिरौंज जिला विदिशा (श्वास रोग एवं पैरों के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)

6	एचसीएम. 6250/08 दिनांक 12.08.08 आर. 982 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री अनीस खां पुत्र श्री बशीर खां वार्ड नं. 2 नयापुरा तह. लटेरी जिला विदिशा (पुत्र की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 42,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 42,000/- (रूपये बयालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-इंदौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,10,000/- (रूपये एक लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6253/08 दिनांक 12.08.08 आर. 983	श्रीमती शोभा पत्नी श्री कमलेश नन्दवाल एम/42 बजरंग नगर डुप्लेक्स जिला इन्दौर (पुत्र पंकज नंदवाल के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6256/08 दिनांक 12.08.08 आर. 983 मा.मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्रीमती मायादेवी पति श्री इन्दरसिंह चौहान 62/2 समाजवाद नगर जिला इन्दौर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6258/08 दिनांक 12.08.08 आर. 983 मा. मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्रीमती केशरबाई पति स्व. श्री प्रहलाद 58/3 साउथ गाडरा खेड़ी मुस्कान किराना स्टोर के पास जिला इन्दौर (अपेन्डिक्स के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6260/08 दिनांक 12.08.08 आर. 983	श्री संतोष पिता श्री परमानंद कोरी 104/3 नंदा नगर जिला इन्दौर (पैर के फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 6262/08 दिनांक 12.08.08 आर. 983	श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री रमेशचन्द्र 627/24 समाजवादी इन्दिरा नगर बस स्टेण्ड के पीछे जिला इन्दौर (पति के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

6	एचसीएम. 6265 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 983 मा. मंत्री श्री कमल पटेल	संचालक सर गंगाराम हास्पिटल नई दिल्ली श्रीमती सावित्री बाई राही गोबिन्द कालोनी जिला इन्दौर (ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 /- (पच्चीस हजार)
7	एचसीएम. 6267 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 983 मा.मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री सुनील कुमार पिता श्री सत्यनारायण सैनी 74/2 नेहरू नगर जिला इन्दौर (पुत्री के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
8	एचसीएम. 6271 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 983 मा.मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री मुन्नालाल पिता श्री कल्लू 207 रुस्तम का बगीचा जिला इन्दौर (पुत्र की हत्या हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6273 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 983	श्रीमती उमा तिवारी 326, अवंतिका नगर स्कीम नं. 51 संगम नगर जिला इन्दौर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 1,10,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,10,000/- (रूपये एक लाख दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- इंदौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-देवास
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6274/08 दिनांक 12.08.08 आर. 984	श्री बाबर शेख पिता श्री शेख इश्हाक मोहम्मद 10, भगतसिंह मार्ग जिला देवास (गले कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6275/08 दिनांक 12.08.08 आर. 984 मा. मंत्री श्री अनूप मिश्रा	श्रीमती गायत्री शर्मा जैन धर्मशाला के सामने खातेगांव जिला देवास (पति के गोली लगने से घायल हो जाने के कारण उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टाजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- देवास (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-खरगौन (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6276/08 दिनांक 12.08.08 आर. 985 मा. विधायक श्री भूपेन्द्र आर्य	श्रीमती सुशीलाबाई पत्नी श्री रमेशसिंह तंवर ग्राम बड़दिया तह. महेश्वर जिला खरगौन (आहार नली के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- खरगौन (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-शाजापुर (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6277/08 दिनांक 12.08.08 आर. 986 मा. विधायक श्री गिरीराज मण्डलोई	श्री वंशीलाल ग्राम विरगोद जिला शाजापुर (शुगर की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6278/08 दिनांक 12.08.08 आर. 986 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री रतिराम ग्राम ढाबलाधीर तह. कालापपीपल जिला शाजापुर (पुत्र के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-होशंगाबाद
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 43,000/- (रूपये तिरतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6279/08 दिनांक 12.08.08 आर. 989	श्री सुरेश सिंह आ.श्री मिश्रीलाल राजपूत ढावाकला तह.इटारसी जिला होशंगाबाद (पुत्र अजयसिंह के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6280/08 दिनांक 12.08.08 आर. 989 मा. मंत्री श्री कमल पटेल	श्री सतीश कुमार तिवारी आ.श्री जे.पी. तिवारी हादसिंग बोर्ड कालोनी जिला होशंगाबाद (हर्निया के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6281/08 दिनांक 12.08.08 आर. 989	श्री हरप्रसाद आ. श्री लल्लू ग्राम रायपुर जिला होशंगाबाद (पुत्र रविशंकर के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6282/08 दिनांक 12.08.08 आर. 989	श्री राजेश साधवानी आ. श्री रामचन्द्र साधवानी न्यास कालोनी ई.डब्ल्यू.एस.-200, इटारसी जिला होशंगाबाद (पत्नी श्रीमती सविता साधवानी के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 6283/08 दिनांक 12.08.08 आर. 989	श्री मदन सिंह आ. श्री उमेद सिंह ग्राम शुक्करवाड़ा कला तह. बाबई जिला होशंगाबाद (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

6	एचसीएम. 6284 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 989	श्री अशोक कुमार मालवीय वार्ड -4 पुरानी इटारसी जिला होशंगाबाद (भाई के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 43,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 43,000/- (रूपये तिरतालीस हजार)
मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा
इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की
व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित
करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा
जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान
का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर
आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.
प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन
सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि
अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि
संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान
की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य
प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)
-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430 / 2008 / एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19 / 08 / 2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-होशंगाबाद(मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट
के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-हरदा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6286/08 दिनांक 12.08.08 आर. 990	श्री चिरोंजीलाल आ. श्री भूता कोरकू मुरलीखेड़ा (मगरधा) जिला हरदा (पुत्री संध्या की पानी मे डूबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- हरदा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रॉजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-रीवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6285/08 दिनांक 12.08.08 आर. 991	कुमारी शालनी तिवारी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी हाल मुकाम द्वारा श्री लेखनसिंह पटेल मकाननम्बर 3/79 नियर ए.जी. कालेज, पड़ार जिला रीवा (विकलांगता के कारण)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6287/08 दिनांक 12.08.08 आर. 991 मा. संसद सदस्य श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	श्री प्रभाशंकर पाण्डेय शा.हा.से.स्कूल के पास निपानिया जिला रीवा (आंत की टी.बी. रोग, ग्राड ब्लाडर स्टोन के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6137/08 दिनांक 12.08.08 आर. 991 मा. विधायक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम रमगढवा जिला रीवा (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6138/08 दिनांक 12.08.08 आर. 991 मा. विधायक श्री गिरीश गौतम	श्री राजकुमार चौधरी ग्राम डीहा जिला रीवा (पत्नी श्रीमती श्यामा की मृत्यु हो जाने से उन्हें स्वीकृत राशि)	रूपये 5,000/- (पांच हजार) पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 27 दिनांक 03/05/08

5	एचसीएम. 6140/08 दिनांक 12.08.08 आर. 991 मा. संसद सदस्य श्री गणेश सिंह	श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव ग्राम पटेहरा पो. तिघरा उप तहसील सेमरिया जिला रीवा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 40,000/-

2/ **मात्र** उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार) की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1) भोपाल, दिनांक 19/08/2008
प्रति,

कलेक्टर,
जिला-धार
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6143/08 दिनांक 12.08.08 आर. 992 मा. राज्यमंत्री श्रीमती रंजना बघेल	श्रीमती ललिता ठाकुर पति श्री महेश ठाकुर एच-4, मान परियोजना कालोनी मनावर जिला धार (पति के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6145/08 दिनांक 12.08.08 आर. 992	श्रीमती मंगती बाई पत्नी स्व. श्री गुलाब मण्डलाई तह. मनावर जिला धार (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- धार (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-सागर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 74,608/- (रूपये चहोत्तर हजार छः सौ आठ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6148/08 दिनांक 12.08.08 आर. 993 मा. विधायक श्रीमती सुशीला राकेश सीरोठिया एचसीएम. 6150/08 दिनांक 12.08.08 आर. 993	1. श्री मुकेश आ.स्व.श्री भैयालाल सेन आचवल वार्ड बीना जिला सागर (पत्नी श्रीमती रामसखी सेन के ओवरियन सिस्ट के उपचार हेतु) 2. श्री नत्थूसिंह आ.श्री मंगलसिंह ग्राम सेमरा गनपतराव खुरई बीना जिला सागर (ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार) रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6153/08 दिनांक 12.08.08 आर. 993 मा. संसद सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार	श्रीमती लक्ष्मीबाई अहिरवार पति श्री कमल प्रसाद अहिरवार म.नं. 115, अम्बेडकर वार्ड सागर सिटी जिला-सागर (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 6158/08 दिनांक 12.08.08 आर. 993	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री करोड़ीलाल चढ़ार ग्राम सानोधा जिला सागर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,608/- (पांच हजार छः सौ आठ)
4	एचसीएम. 6161/08 दिनांक 12.08.08 आर. 993	श्री अजब सिंह पिता श्री रामदीन ग्राम हिन्नोद बीना जिला सागर (अण्डकोष के आपरेशन हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)

5	एचसीएम. 6164 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 993 मा. विधायक श्रीमती सुधा जैन	श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री जगमोहन संत कबीर वार्ड जिला सागर (भरण पोषण हेतु)	रूपये 3,000 /— (तीन हजार)
6	एचसीएम. 6167 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 993	श्री कैलाश पटवा बिहारी मंदिर के पास खुरई जिला सागर (पुत्री मोनिका पटवा के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /— (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 6169 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 993 मा.मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री मनोज धानक जगजीवनराम वार्ड खुरई जिला सागर (पुत्री कुमारी राधा के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /— (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 6171 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 993 मा.मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री सीताराम पिता श्री प्यारेलाल कुर्मी नि. ग्राम बरोदिया विकास खण्ड मालथोन तह. खुरई जिला सागर (गुर्दा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /— (पन्द्रह हजार)
योग:—			रूपये 74,608 /—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 74,608 /— (रूपये चहोत्तर हजार छः सौ आठ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-खंडवा
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6173/08 दिनांक 12.08.08 आर. 994 मा. संसद सदस्य श्री नंदकुमारसिंह चौहान	श्रीमती प्रेमबाई पत्नी स्व श्री ग्यारसीलाल वर्मा कहारवाडी गुरबा मोहल्ला जिला खण्डवा (मस्तिष्क ज्वर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
योग:-			रूपये 8,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खंडवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टाजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-टीकमगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,20,000/- (रूपये एक लाख बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6175/08 दिनांक 12.08.08 आर. 995 कलेक्टर टीकमगढ़ मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2008 को टीकमगढ़ भ्रमण के दौरान की गई घोषणा के पालन में	संचालक भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर भोपाल कुमारी अर्चना राजपूत पुत्री श्री हरचरन राजपूत ग्राम नैनवारी जिला टीकमगढ़ (हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार)
योग:-			रूपये 1,20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,20,000/- (रूपये एक लाख बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-नरसिंहपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6177/08 दिनांक 12.08.08 आर. 996	श्री गोविन्द सिंह आ.श्री. छिकोडी लाल लोधी कुकलाह तह. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर (पुत्र नीतेश की रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6179/08 दिनांक 12.08.08 आर. 996	श्री बंशीलाल विश्वकर्मा चीचली तह. गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी,जिला-नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी,मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-नीमच
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6180/08 दिनांक 12.08.08 आर. 997 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री दिलीप पिता श्री रामप्रहलाद जीरन जिला नीमच (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-मंदसौर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6182/08 दिनांक 12.08.08 आर. 998	श्री रमेश चन्द्र पिता श्री नानूराम शर्मा बेखेड़ा जिला मंदसौर (पत्नी श्रीमती कौशल्या बाई के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- मंदसौर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-शिवपुरी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6185/08 दिनांक 12.08.08 आर. 999 मा. मंत्री श्री राघवजी	श्रीमती मनोरमा त्रिवेदी भारत भवन कलार बाग जिला शिवपुरी (ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6187/08 दिनांक 12.08.08 आर. 999 मा. मंत्री श्री अनूप मिश्रा	श्रीमती सियादेवी पत्नी स्व. श्री शिवनंदन सिंह जाट जाट मोहल्ला कोलारस जिला शिवपुरी (हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शिवपुरी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-श्योपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेईस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6187/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1000 मा. राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह	कृ. नीतू कुशवाह पुत्री श्री श्रीनिवास कुशवाह ग्राम मढा तह. विजयपुर जिला श्योपुर (मूक बधिरता के कारण सहायता)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 6192/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1000	श्री मोहन सिंह खरे पुत्र स्व. श्री सालिक राम जाटव ग्राम व पो. छैरा केम्प विजयपुर जिला श्योपुर (हाथों के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
योग:-			रूपये 23,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- श्योपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-राजगढ़
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 61,000/- (रूपये इकसठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6194/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1001	श्री बीरमसिंह पिता श्री बालाराम ग्राम सरेडी जिला राजगढ़ (भैंस की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6196/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1001	श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री राधेश्याम पीपल्या कुलमी तह. जीरापुर जिला राजगढ़ (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 6198/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1001 मा. विधायक श्री मोहन शर्मा	श्री बद्रीप्रसाद आ. श्री गोपीलाल वार्ड क्र. 4, नरसिंहगढ़ जिला-राजगढ़ (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6200/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1001 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री शीतल प्रसाद गुप्ता खुजनेर ब्यावरा जिला राजगढ़ (मल्टीपल स्क्लीरोसिस की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
5	एचसीएम. 6202/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1001	संचालक जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री गोवर्धनदास बिज्ञानी ग्राम तलेन जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)

6	एचसीएम. 6204 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 1001 मा. विधायक श्री मोहन शर्मा	श्री रामचरण ग्राम बांकपुरा तह नरसिंगढ़ जिला राजगढ़ (पुत्र राजू के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार)
		योग:—	रूपये 61,000 /—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 61,000 /— (रूपये इकसठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7— /2008/एक (1)
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला— राजगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।

4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-गुना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 9,918/- (रूपये नौ हजार नौ सौ अठारह) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6207/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1002	संचालक जवाहरलाल नेहरू कैंसर हास्टिपटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री कैलाश नारायण धाकड़ पुत्र श्री बलवन्त धाकड़ म्याना वार्ड क्र. 10 जिला गुना (पुत्र छोटू के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 9,918/- (नौ हजार नौ सौ अठारह)
योग:-			रूपये 9,918/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 9,918/- (रूपये नौ हजार नौ सौ अठारह) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- गुना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-पन्ना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6211/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1003 मा. केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारत सरकार	श्रीमती पान बाई पति श्री सेवालाल रजक ग्राम घटारी थाना अमानगंज जिला पन्ना (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- पन्ना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-मंडला
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6213/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1004	श्री श्याम कुमार दुबे आ.श्री श्रीचन्द्र दुबे श्रीराम वार्ड मण्डला (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंडला (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-जबलपुर
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6215/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1005 मा. राज्यमंत्री श्री मोती कश्यप	श्रीमती मंजू सराफ कमनिया गेट के सामने जय प्रकाश वार्ड पनागर जिला जबलपुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
योग:-			रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
-::आदेश::-

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-बैतूल
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 90,000/- (रूपये नब्बे हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6218/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1006 मा.विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री प्रकाश यादव शंकरनगर भग्गूढाना जिला बैतूल (पुत्री पूजा के हार्निया रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6219/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1006 मा.विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री भागीरथ भावसार अम्बेडकर वार्ड टिकारी जिला बैतूल (पुत्री प्रतीक के आंख के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6221/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1006 मा.विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री सुखनंदन राठौर खारी मोहल्ला वार्ड नं. 12 चिचोली जिला बैतूल (पुत्र पंकज के बिरोसिस रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6223/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1006 मा. मंत्री श्री कमल पटेल	श्रीमती चन्द्रकला जौजे पति श्री बलिराम बडोरा प्राथमिक शाला के पीछे जिला बैतूल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

5	एचसीएम. 6225 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 1006	संचालक बारस्कर मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड डायलिसिस सेटर नागपुर श्री लल्लन सिंह सोनपुरे आमला तह. मुलताई जिला बैतूल (माताजी श्रीमती सुशीला बाई सोनपुरे के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार)
6	एचसीएम. 6227 / 08 दिनांक 12.08.08 आर. 1006 मा. विधायक श्री शिवप्रसाद राठौर	श्री श्रीराम पिता श्री नान्हूराम गंगारे ग्राम आरूल पोस्ट सोहागपुर जिला बैतूल (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
योग:-			रूपये 90,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 90,000 /- (रूपये नब्बे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टोक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-दमोह
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 35,000/- (रूपये पैतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6230/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1007 मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया	श्री सरबन सिंह लोधी तिगरा पो. मढिया दो तह. हटा जिला दमोह (पुत्र माधव सिंह के कैसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6233/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1007	श्रीमती रूपा बाई पति श्री मुन्नालाल अहिरवार गौरीशंकर वार्ड-1, महाकाली चबूतरा के पास हटा जिला दमोह (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6235/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1007	श्री हिरया अहिरवाल बकैनी तह.पथरिया जिला दमोह (पत्नी की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6236/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1007 मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया	श्री राम कुमार सूर्यवंशी आ. श्री मोहनलाल सूर्यवंशी ग्राम डुहली लमान पो. आ. रामगढ़ जिला दमोह (कैसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 35,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 35,000/- (रूपये पैतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- दमोह (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1) भोपाल, दिनांक 19/08/2008
प्रति,

कलेक्टर,
जिला-रतलाम
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6238/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1008 मा. मंत्री श्री हिम्मत कोठारी	श्रीलालचंद गांधी आ.श्री मोतीलाल गांधी जिला रतलाम (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रतलाम (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-उज्जैन
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 32,000/- (रूपये बत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6241/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1009 मा. राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पवार	श्री मोहनलाल उपाध्याय बाफना कालोनी सेंटपाल स्कूल के पास जिला उज्जैन (पुत्री के कैसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6245/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1009 मा. विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर	श्री बहादुर सिंह पिता श्री स्वरूपजी आंजना रोहलकला तह.नागदा जिला उज्जैन (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 6246/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1009 मा.संसद सदस्य डा.सत्यनारायण जटिया	श्री मांगीलाल पिता श्री हीरालाल कागदीपुरा बडनगर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
योग:-			रूपये 32,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 32,000/- (रूपये बत्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-मुरैना
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 56,000/- (रूपये छप्पन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6248/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1010 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	श्री रमेश पुत्र श्री कुम्हेर सिंह अरोली बोहरे का पुरा तह. अम्बाह जिला मुरैना (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6248/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1010 मा. विधायक श्री गजराज सिंह	श्री रविन्द्र सिंह राजपूत डेरा तह.जौरा जिला मुरैना (पत्नी के लीवर एवं रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 6248/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1010 मा. विधायक श्री गजराज सिंह	श्री पूरन सिंह प्रजापति काशीबाबा कालोनी जौरा खुर्द जिला मुरैना (ब्रेनहेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6248/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1010 मा. विधायक श्री गजराज सिंह	श्री राम खिलाड़ी सिंह नैनागढ़ रोड जिला मुरैना (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

5	एचसीएम. 6248/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1010 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र दत्तपुरा जिला मुरैना (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम. 6248/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1010	श्री अशोक जाटव पुत्र श्री हलका जाटव ग्राम गेपरी तह.जौरा जिला मुरैना (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 56,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 56,000/- (रूपये छप्पन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

1

महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

2

सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

3. कोषालय अधिकारी, जिला- मुरैना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-बालाघाट (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेईस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6259/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1011	श्री बृजलाल आ.श्री हिरका ग्राम डोरली (माल) तह. वारासिवनी जिला बालाघाट (अल्सर रोग के उपचार हेतु)	10,000/- (दस हजार)
	एचसीएम. 6261/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1011	श्री दुर्गाप्रसाद गौतम आ.स्व.श्री आपाजी ग्राम परासपानी पो.हटआ तह. व जिला बालाघाट (दुर्घटना में चोट लगने से हाथ के उपचार हेतु)	8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 6263/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1011 मा. विधायक श्री के. डी. देशमुख	श्री दिलीप आ. श्री बारेलाल हरणिखेड़े ग्राम खजरी पो. सेलवा तह. कटंगी जिला बालाघाट (पत्नी श्रीमती दीपिका के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 23,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर

आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- बालाघाट (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-भिंड (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 40,000/- (रूपय चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6264/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1012 मा.मंत्री श्री अनूप मिश्रा	श्रीमती अनुपम जैन पति श्री अनुराग जैन 8 बंगला बाजार जिला भिण्ड (पति के रीढ़ की हड्डी एवं लकवा रोग के उपचार हेतु)	15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6266/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1012	श्री हरभजन पुत्र श्री रतिराम ग्राम रावतपुरा कला लहार जिला भिण्ड (मिर्गी रोग के उपचार हेतु)	15,000/- (पन्द्रह हजार)
	एचसीएम. 6268/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1012 मा.संसद सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	श्रीमती कलावती पत्नी स्व. श्री पुन्नू ग्राम अवसार तह. लहार जिला भिण्ड (पुत्र धर्मन्द्र के रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 40,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 40,000/- (रूपय चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर

आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भिंड (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6269/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1013 मा. विधायक श्री मारोतराव खवसे	श्री शामराव पिता श्री लक्ष्मण महाजन राजना तह. पाण्डुरना जिला छिन्दवाड़ा (संधीवात के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-शहडोल (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6270/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1014 मा. विधायक श्री रामलाल रौतेल	संचालक मेट्रो हास्पिटल एण्ड कैंसर रिसर्च सेंटर जबलपुर श्रीमती किरण चतुर्वेदी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ग्राम खैरहा जिला शहडोल (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टाजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शहडोल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

कलेक्टर,
जिला-बड़वानी
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6272/08 दिनांक 12.08.08 आर. 1015 मा. राज्यमंत्री श्रीमती रंजना बघेल	कृ. बाया पुत्री स्व. श्री चंदर सिंह रोसमाल वि.ख. पाटी जिला बड़वानी (स्वयं के मैकसीलरी ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(बसंत कुर्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 430/2008/एक (1)
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बड़वानी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

